

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

27 जुलाई, 1998

खण्ड 2, अंक 5

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 27 जुलाई, 1998

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)1
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(5)17
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(5)24
विभिन्न मामले उठाना/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की	(5)26

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 27 जुलाई, 1998

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में दोपहर 2.00 बजे हुई। अध्यक्ष (प्रो० छत्तर सिंह चौहान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: साहेबान अब ब्वै चन आवर होगा।

Loading/Unloading and Transportation Charges

***670. Sh. Ram Pal Majra:** Will the Minister for Cooperation be pleased to state-whether it is a fact that the loading/unloading and transportation charges of sugarcane are being charged from the farmers by the Haryana State Cooperative Sugar Mills for bringing the sugarcane to the Mills from their respective collection centres; if so, since when the same is being charged ?

सहकारिता मंत्री (श्री नरबीर सिंह): वर्णन सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्णन

सहकारी चीनी मिलें गन्ना संग्रह केन्द्रों से गन्ना मिल तक लाने के लिए हमें गा से ही किसानों से ढुलाई खर्चा लेती रही है। लदाई/उतराई खर्च की प्रथा 1995-96 तक घटती बढ़ती

रही। पिड़ाई सत्र 1996-97 व 1997-98 के लिए सभी मिलों के लिए सभी मिलों ने लदाई/उतराई का खर्चा लिया था। अब सरकार ने आने वाले पिड़ाई सत्र 1998-99 के लिये ढुलाई, लदाई/उतराई का खर्चा लेने का निर्णय प्रत्येक सहकारी चीनी मिल के निदेशक-मण्डल पर ही छोड़ दिया है।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर साहब, इस खर्च को किसानों पर डालने के बाद किसान निरुत्साहित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गन्ने की लदाई/उतराई का जो 5 रुपये से 11 रुपये तक का खर्चा है उसे सरकार वापिस लेने पर विचार करेगी ?

श्री नरबीर सिंह: स्पीकर साहब, सरकार को ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर साहब, किसानों पर यह खर्चा डालने के बाद किसानों ने काफी कम गन्ना उगाना शुरू कर दिया है जिसके कारण अब की बार गन्ने की पिड़ाई इसीलिए थोड़े समय तक रही और आगे के लिए भी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि गन्ने की कम पैदावार होने के कारण चीनी मिलें कम समय तक चल पाएंगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कोई अल्टर नेटिव प्रबंध कर रही है जिससे किसान

प्रोत्साहित होकर गन्ने की पैदावार बढ़ाएं ताकि चीनी मिलें पूरे सीजन चलें।

श्री नरबीर सिंह: स्पीकर साहब, अगर यह खर्चा किसानों से न भी लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गन्ने की पैदावार हर साल घटती बढ़ती रहती है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर साहब, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राइवेट चीनी मिलों ने गन्ने का काफी ज्यादा रेट दिया है। जैसे भादसों प्राइवेट चीनी मिल ने किसानों को काफी ज्यादा गन्ने के रेट दिये इसलिए उस इलाके में किसानों ने प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार उनको कोई इनसैटिव देगी ताकि किसान गन्ना ज्यादा बोयें ? क्या सरकार गन्ने के पिछले रेट को मददेनजर रखते हुये अगले सीजन में गन्ने के रेट बढ़ाएगी ?

श्री नरबीर सिंह: स्पीकर साहब, गन्ने के पिछले रेट को ही ध्यान में रख कर नया रेट निर्धारित किया जाएगा लेकिन गन्ने की उतराई/लदाई के बारे में फैसला चीनी मिलों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया गया है। सहकारी चीनी मिलों के नजदीक जो प्राइवेट चीनी मिले हैं जैसा वह करते हैं वैसा ही बोर्ड आफ डायरेक्टर्स अपने हिसाब से कर लें।

श्री जय सिंह राणा: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने गन्ने की

उतराई/लदाई के खर्चे के बारे में फैसला चीनी मिलों के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया है। इस फैसले को सरकार क्यों नहीं करती और यह खर्चा चीनी मिलें ही दें यह खर्चा किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह फैसला बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वे जनता के चुने हुए हैं इसलिए वही जनता की ज्यादा भलाई समझते हैं।

श्री अ गोक कुमार: स्पीकर साहब, मंत्री जी ने बताया कि गन्ने की उतराई/लदाई के खर्चे के बारे में फैसला चीनी मिलें के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर छोड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि कोई प्राइवेट चीनी मिल किसानों से गन्ने के ज्यादा रेट देता है तो क्या उसके नजदीक के चीनी मिल का बोर्ड आफ डायरेक्टर्स उतना ही रेट देंगे।

श्री नरबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में केन कमिशनर फैसला करेगा।

Vegetable Market for Charkhi Dadri

***755. Sh. Sat Pal Sangwan:** Will the Minister for Horticulture and Marketing be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Vegetable Market at Charkhi Dadri, District Bhiwani ?

Minister of State For Horticulture and Marketing
(Sh. Jagbir Singh Malik): Yes, Sir.

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में मैंने यही सवाल किया था उस वक्त भी मुझे यही जवाब मिला "यस सर"। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि वहां पर सब्जी मण्डी व अनाज मंडी बनाने के लिए क्या सैक्टान 4 से 6 के नोटिस इतू हो चुके हैं या नहीं। दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि हमारी ये मंडियां कब तक बन जाएंगी ?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, वहां पर सब्जी मण्डी व अनाज मंडी बनाने का प्रावधान किया हुआ है। वहां पर इस काम के लिए सैक्टान 4 के तहत 32 एकड़ 6 कैनल जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। अब सैक्टान 6 के तहत वहां पर औब्जैक्टिंज मांगे हुए हैं। इन औब्जैक्टिंज के बाद यदि कोई दिक्कत न आई तो ये दोनों मंडियां दो साल में बना कर तैयार कर दी जाएंगी।

श्री कैलाश चन्द्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नारनौल के अन्दर सैनी बाहुल एक छोटा सा कस्बा है। वहां पर पहाड़ी एरिया है। वहां सब्जी की कम खपत है जबकि वहां पर सब्जी बहुत अधिक होती है। वहां पर मंडी आदि न होने के कारण वह सब्जी बाहर पड़ी रहती है और सड़ जाती है। वहां पर सब्जी मंडी बनाने की

मांग लोगों की तरफ से बराबर आ रही है। क्या मंत्री जी वहां पर सब्जी मंडी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, जहां पर भाई कैला । चन्द्र मंडी बनाने की बात कह रहे हैं और ये इसको बनाया जाना जरूरी समझते हैं तो इसको हम एगजामिन करवा सकते हैं।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह सवाल सब्जी मंडी, दादरी के बनाये जाने तक सीमित है। मैं इसको वहीं तक सीमित रखूंगा। लेकिन मैं सरकार की मंडी बनाये जाने की पालिसी मैटर के बारे में जानना चाहूंगा। सरकार ने घोशणा की थी कि जो लाईसेंसी आलरेडी दादरी की सब्जी मंडी में या दूसरी सब्जी मंडियाँ में बैठे हैं क्या उनको रियायती दरों पर दुकानें देंगे ? उनको दुकानें देने के बाद जो दुकानें बचेंगी उन दुकानों की ओक न करेंगे इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, यह मैटर सब-जुडिस है। रिजर्व प्राईस पर दुकानें देने या न देने के कारण ही यह मामला कोर्ट में पैंडिंग है। इसलिए इसका ज्यादा जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष: दादरी में सब्जी मंडी बनायी जानी बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारा सबसे पुराना सब डिवीजन है। वहां से तीन एम0एल0ए0 मैं, सांगवान साहब व नृपेंदर जी हैं। क्या इस

मामले को आप जल्दी से एक्सपीडाइट करवाने का आ वासन देंगे ?

श्री जगबीर सिंह मलिक: जो जमीन हमने अधिग्रहण करनी है, उसका हमने पोजै ान लेना है व पोजै ान लेने के बाद जो एतराजात आएंगे उनको सैटल करना है। उसके मंडी को जल्दी से जल्दी बनवाने की को ि ा ा करेंगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मंडियों के अन्दर जहां जहां पर भी भौड बन गए हैं उनका अभी तक औक् ान क्यों नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रिवाड़ी के अन्दर पिछले तीन साल से भौड बन कर तैयार हो चुके हैं लेकिन अभी तक वे औक् ान नहीं हुए हैं। लोग बाहर रेहड़ी लगाते हैं जिससे वहां से निकलना भी मु ि कल हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: यह इररेलेवेन्ट क्वै ान है। आप बैठिये।

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह बताया कि यह मामला सब-जूडिस है, ये सब जूडिस सिर्फ इसलिये कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने उन दुकानों की ओपन औक् ान करने के लिए पोलिसी बना ली है। अगर ये दुकानें रिजर्व प्राईस पर ही अलाट कर देते तो दुकानदार बेचारे कोर्ट में ही न जाते। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने मैनिफैस्टों में भी सस्ते दामों पर दुकानें देने के बारे में कहा था, मैनिफैस्टों मेरे पास है और आपने भी पढ़ा

होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ये सस्ते दामों पर दुकानें देने का फैसला कर लें तो यह मामला खत्म हो सकता है। यह एज ऐ मटर ऑफ पोलिसी की बात है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग लाईसैंस होल्डर हैं उनको तो रिजर्व प्राईस पर दुकानें दे देनी चाहिए बाकि जिनके पास लाईसैंस नहीं हैं उनको ओपन ओव इन से दुकानें दे अगर ये ऐसा करेंगे तो सरकार के पास पैसा भी आ जाएगा। और उन लोगों की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी। (विघ्न)

श्री जगबीर सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि ये दुकानें लाईसैंस होल्डरों को सस्ते दामों पर देने के लिए बनाई गई थीं लेकिन लाईसैंस होल्डरों में झगड़ा हो गया कि कौन लाईसैंस होल्डर है और कौन नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये दुकानें अलाट न होने से बोर्ड को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था इसलिए यह मामला कोर्ट में चला गया। अध्यक्ष महोदय, होई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही यह तय किया गया कि इन दुकानों की ओपन ओव इन की जायेगी।

Construction of Roads

***617. Sh. Dev Raj Dewan:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. a road from village Mahara to Sitauli in District Sonipat

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav):
This road stands already constructed.

श्री देव राज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और इसके साथ साथ यह भी जानना चाहूंगा कि इनमें से एक सड़क पर मिट्टी डली हुई है और दूसरी सड़क पर मिट्टी डालने का काम बकाया है तो इन दोनों सड़कों को जल्दी से जल्दी कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, इन सड़कों का इस साल के अन्त तक काम पूरा हो जाएगा।

श्री देव राज दीवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु: स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जून 1996 में भारी बारिश के कारण महेन्द्रगढ़ जिले की जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थीं, वे सड़कें कब तक रिपेयर करा दी जाएंगी ?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की सभी सड़कों का सर्वे कराया जा रहा है बाढ़ के कारण जो भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी मरम्मत भीघ्राति भीघ्र करा दी जाएगी।

श्री सूरजमल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मार्किटिंग बोर्ड द्वारा हर एक विधायक के क्षेत्र में दो दो या तीन तीन नई सड़कें बनाने का सरकार इरादा रखती है ?

श्री धर्मबीर यादव: अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Supply of the Sprinkler Nozzle

***775. Sh. Narpender Singh:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether Mahavir Aluminium Ltd., Delhi had supplied the Sprinkler Nozzle to the farmers during the period from 1986-87 to 1997-98; if so, the year-wise details thereof; and

(b) whether it is a fact that the firm referred to in part (a) above has supplied Sprinkler Nozzle Model 'A' and charged the rates of the Sprinkler Nozzle Model 'AA'; if so, the action taken against the said firm ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) हां, श्रीमान जी। इस फर्म द्वारा सप्लाई किए गये फव्वारा संयंत्रों का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(ख) वर्तमान में यह मामला जांच के अधीन है।

विवरण

क्र०सं०	वर्ष	आपूर्ति किये गये सैटों की संख्या

1	1986-87	344
2	1987-88	686
3	1988-89	उपलब्ध नहीं है।
4	1989-90	547
5	1990-91	547
6	1991-92	984
7	1992-93	1097
8	1993-94	218
9	1994-95	69
10	1995-96	352
11	1996-97	388
12	1997-98	221

श्री नृपेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या साल 1997-98 से स्पिंक्लर नोजलज का आई0एस0आई0 मार्का होना आव यक कर दिया गया है यदि हां तो क्या दोनों मॉडलज की

सप्लाई के आई0एस0आई0 न होने की कोई ित्तिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो पहला सवाल किया है ये दोनों मॉडल्ज "ए" और "एए" आई0एस0आई0 मार्का कर दिए गए हैं, यह बिल्कुल ठीक है। दूसरे इन्होंने यह पूछा है कि इससे संबंधित इस कम्पनी ने ठीक सप्लाई नहीं की, इसकी कोई ित्तिकायत प्राप्त हुई है। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में किसानों से अभी तक कोई ित्तिकायत प्राप्त नहीं हुई है लेकिन डिवैल्पमेंट बैंक ने हमारे डिपार्टमेंट में एक क्वायरी जरूरी लगाई है और उसको जवाब हम लिखकर बैंक को भेजेंगे। इस बारे हमारा डिपार्टमेंट पहले विस्तृत इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री नृपेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि अभी इस बारे में इन्वैस्टिगे ान्ज चल रही हैं, मैं उनसे यह जानकारी चाहूंगा कि यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि जितना जल्दी हो सकेगा यह कम्पलीट हो जाएगी।

Repair of Roads from Kheri-Sadh to Karor

***782. Sh. Balwant Singh:** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair the road from village Kheri-Sadh to village karor in Rohtak district; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be repaired ?

Public Works Minister (Sh. Dharamvir Yadav):

(a) Yes. Sir.

(b) The repair work on this road will be completed by 31-5-97 subject to availability of funds.

श्री सत नारायण लाठर: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पहले बाढ़ के कारण जो सड़के क्षतिग्रस्त हो गयी थीं और जिन पर अब वाहन या रेढ़े चल नहीं सकते हैं, क्या ऐसी सड़कों की रिपेयर करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि है तो कब तक इनकी मरम्मत हो जाएगी ?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, हम ऐसी सभी सड़कों की रिपेयर भीघ्न करवाने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पिछले कई दिनों से आपके विभाग से संबंधित कई प्र न यहां पर आए हैं । मेरा भी आपसे यही जानने का विचार है कि जो रोडज 1995 की बाढ़ में सारे प्रदे 1 में नश्ट हो गयी थीं और जिनकी आज तक भी मरम्मत नहीं हो पायी है इसलिए विपक्ष के और सत्ता पक्ष के सभी

सदस्यों को इस बात को लेकर गहरी चिंता है कि सारे प्रदेश में उनके हल्कों की सड़कों पर 1995 की बाढ़ के बाद से आज तक मरम्मत नहीं हो पायी। मुझे नहीं मालूम कि किस वजह से इनकी मरम्मत नहीं हो पायी लेकिन यहां पर आपके विभाग से संबंधित रोजाना दो या चार घंटे न इस बारे में जरूर आते हैं। आप भी इस बार को लेकर चिन्तन गील महसूस होते हैं और आपका इनके बारे में जवाब भी ठीक सा ही होता है। क्या आप सारे सदन को यह विचार दिलाएंगे कि जो रोडज 1995 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गयी थीं तथा जिनको उस समय की सरकार ठीक नहीं करवा सकी थी, उनको कब तक आप ठीक करवा देंगे ?

Sh. Dharamvir Yadav: Mr. Speaker, Sir, on account of heavy rains, there was extensive damage of roads in District Rohtak and other parts of Haryana. अध्यक्ष महोदय, जितनी भी रोडज उस समय डैमेज हुई थीं उन सभी की हम एक सूची बनवा रहे हैं और बहुत भीघ ही उनकी रिपेयर भुरू की जायेगी। अप्रैल के पहले सप्ताह से यह काम भुरू हो जाएगा और मैं ऐसी आशा करता हूं कि 30 जून के पहले पहले इन सभी रोडज की रिपेयर करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ रोडज बच जाएंगी तो उनकी भी हम सितम्बर के मध्य के पहले पहले रिपेयर करवा देंगे।

श्री सतनारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, कुछ रोडज जो बहुत बड़ी हैं और कुछ लिंक रोडज हैं पहले जब चौधरी बंसी

लाल जी की सरकार होती थी, तब ही उन सडकों के किनारे किनारे मिट्टी डलवायी गयी थी। लेकिन अब ऐसी सडकों के किनारों पर दो दो फुट गहरे गढढे हो गये हैं लेकिन पिछली किसी भी सरकार ने इन गढढों को भरने के लिए मिट्टी नहीं डलवायी। आज ऐक्सीडेंट का मेन कारण यही है कि अगर कोई गाडी साईड देती है तो वह सडकों के नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से ऐक्सीडेंट हो जाते हैं। क्या मंत्री जी के नोटिस में ऐसी बात है अगर हां तो तब तक ऐसी सडकों के किनारों पर मिट्टी डलवाए जाने की योजना है ?

श्री धर्मवीर यादव: अध्यक्ष महोदय, हम सडकों की मैटलिंग के साथ साथ उनके अर्थवर्क के काम को भी पूरा करेंगे।

श्री देवराज दीवान: अध्यक्ष महोदय, सोनीपत से गोहाना जाने वाली सडक एवं सोनीपत से रोहतक जाने वाली सडक 1995 की बाढ की वजही से टूट गयी थीं। आज इन दोनों सडकों की बहुत बुरी हालत है। क्या इन सडकों को बनाने की भी इनकी कोई योजना है ? इसके अलावा मैं इनसे यह भी जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के समय जो सडकों की रिपेयर होती थी उसमें एक रस्सी बिछा कर उसके लेवल तक एक एक इंच तक रिपेयर कर दी जाती थी तो क्या अब भी सरकार इन सडकों की ऐसी ही रिपेयर करेगी या इससे अच्छी रिपेयर करने का उसका प्रस्ताव है ?

श्री धर्मवीर यादव: स्पीकर सर, जिन सडकों का ये जिक्र कर रहे हैं तो इन सडकों पर अप्रैल में रिपेयर भुरू करवा दी जाएगी और 30 जून से पहले पहले यह काम हो जाएगा। जहां तक इन्होंने कहा कि रिपेयर अच्छी होनी चाहिए तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि स्पैसिफिके इन के मुताबिक ही रोडज की रिपेयर होगी। मैं आशा करता हूं कि हमारी रिपेयर की हुई सडकें कम से कम पांच साल नहीं टूटेंगी।

Construction of New Anaj Mandi at Ambala Cantt.

***716. Sh. Anil Vij:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct new Anaj Mandi at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the said Anaj Mandi is likely to be constructed ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) जी हां।

(ख) अनाज मण्डी की भूमि अभी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को स्थानान्तरण नहीं हुई है। अनाज मण्डी का निर्माणभूमि का कब्जा लेने के दो वर्ष के भीतर कर दिया जायेगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर 'हां' में दिया और साथ ही यह आवासन भी दिया कि भूमि ट्रांसफर के दो वर्ष के भीतर अनाज मंडी का निर्माण कर दिया जाएगा इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन साथ ही यह भी जानना चाहता हूँ कि यह जो भूमि ट्रांसफर का मामला है इसमें पिछली गवर्नमेंट ने लोगों की जैनुयन डिमांड के प्रति भी जो एपैथेटिक एटीच्यूड रखा पिछले 5-6 साल से भूमि ट्रांसफर का मामला सरकार से सरकार के बीच चल रहा है और एक म्यूनिसिपैलिटी ने जमीन देनी है और मार्किटिंग बोर्ड ने जमीन लेनी है उसमें इतनी दिक्कत की क्या बात है कि 5-6 साल से यह मामला लटका रहा। मैं जानना चाहूंगा कि इस जमीन के ट्रांसफर के लिए क्या कोई समय सीमा मंत्री जी निश्चित करेंगे जिससे यह भूमि ट्रांसफर हो जाए और अनाज मंडी बन सके।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ और ये स्वयं भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अम्बाला सदर में जमीन है वह वहां की नगरपालिका की जमीन है और सडक से दूसरी जमीन का स्तर काफी नीचा है। कई दफा हमारे अधिकारियों ने और विज साहब ने भी सबने खूब प्रयास किये हैं और मैं इन्हें आपके माध्यम से आवासन देता हूँ कि महीने दो महीने में हम जमीन की तबदीली का मामला तय कर देंगे।

श्री कैला । चंद्र भार्मा: अध्यक्ष महोदय, नांगल चौधरी में अनाज मंडी की जमीन ऐक्वायर हुए 4-5 साल हो गए हैं और दुकानों की नींव भी भर रखी है और पटटे भी बांध रखे हैं लेकिन उसके बाद काम रूका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें आगे ये क्या करने जा रहे हैं वे पटटें ही बंधे रहेंगे या खोल कर आगे काम किया जाएगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो नांगल चौधरी के बारे में जिक्र किया है इसके बारे में मैं जानकारी मंगा लेता हूं उसके बाद वहा पर क्या मामला है। उसके बारे में माननीय सदस्य मुझसे कभी भी मिल लें मैं पूरी जानकारी दे दूंगा।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रिवाडी की जो अनाज मंडी है उसकी चारदीवारी का पैसा मंजूर हो चुका है। चार दीवारी न बन पाने की वजह से वहां काफी दिक्कत है पंजु घुस जाते हैं जिससे किसानों और व्यापारियों को काफी समस्या होती है क्या उस चारदीवारी को पूरा करने की कार्यवाही कराएंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: माननीय कैप्टन अजय सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके अपने भासन काल में कंस्ट्रक्शन में और दूसरे कामों में धांधली होती रही। जहां तक हमारे मार्किटिंग बोर्ड का सवाल है मैं रिवाडी की अनाज मंडी की

चारदीवारी के बारे में पता करवा लेता हूँ क्योंकि वहाँ इनकी अपनी सरकार के समय में काम नहीं हुआ। मैं पता करवा लेता हूँ अगर कोई बात ठीक होगी तो हम करने की कोशिश करेंगे।

श्री दिलू राम: अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के सीवन कस्बे में जो कि बहुत बड़ा तथा पुराना कस्बा है, लोगों की मण्डी की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। यह अनाज मण्डी की मांग 1979 से आज तक चली आ रही है और अनाज मंडी के लिए 22 एकड़ जमीन भी ऐक्वायर हुई। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट से स्टे ले आये लेकिन स्टे केवल 4 एकड़ जमीन का ही है और 18 एकड़ जमीन खाली पड़ी है। मुझे पता लगा है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसा भी आ गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर काम कब तक शुरू करवायेंगे ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि जैसा इन्होंने कहा कि इस मण्डी का मामला कोर्ट में विचाराधीन है जैसे ही कोर्ट का फैसला हो जायेगा उसके बाद हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: यह सब ज्यूडिस केस है।

श्री सत नारायण लाठर: अध्यक्ष महोदय, बास (हिसार) की अनाज मंडी कई सालों से बनी पड़ी है और उसे चालू नहीं किया जा रहा है। दूसरे मेरे जिला जींद में पुरानी अनाज मंडी और रोहतक रोड पर नई अनाज मंडी है। किसानों को दोनों

मंडियों में जाना पडता है। तो यह नई अनाज मंडी कब तक चालू करेंगे। मंत्री जी कृपया जवाब दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि ये इस बारे में अलग से प्र न दे दें तो विस्तार से बता सकता हूं।

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चरखी दादरी की सब्जी मण्डी जो कि भाहर के बीच में है उसे रिफिट करके भाहर से बाहर ले जाने का प्रोग्राम 8-10 साल से चल रहा है और सैकड़ों चार का नोटिस भी जारी हो गया है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस सब्जी मंडी को बाहर ले जाने का कब तक प्रोग्राम है क्योंकि इससे भाहर में बड़ी गंदगी रहती है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सांगवान जी ने बिल्कुल ठीक कहा है उनकी सलाह पर हम जल्दी ही कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री रामभजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, भिवानी सब्जी मण्डी में दो साल से भौड बने हुए हैं। लेकिन वे सब्जी के रिटेल डीलरों को अलॉट नहीं किए गए हैं जिससे सरकार का 50-60 हजार रूपये महीने का नुकसान हो रहा है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये भौड सब्जी के रिटेल डीलरों को अलाट किये जायें। दूसरे, लोहा और लकड़ी मंडी बनाने का काम पहली अप्रैल

से भुरु करना था लेकिन उनके प्लाट अभी तक अलॉट नहीं किये गये हैं, उसके बारे में बतायें।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैंने पिछली दफा भी सदन को बताया था कि प्लाट अलॉटमेंट करने की पिछली सरकार के समय में जो पौलिसी थी उसमें कोई कमी थी उसकी वजह से सारे हरियाणा के आढती कचहरी या अदालत का सहारा ले लेते थे। हम बहुत जल्दी एक नई पौलिसी इस प्रदेा में लागू करने जा रहे हैं जिससे सभी आढतियों और किसानों को फायदा होगा। रही बात लोहा और लकड़ी मंडी की, यह मंडी बोर्ड का विशय नहीं है।

श्री आनन्द कुमार भार्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बल्लभगढ अनाज मंडी को भाहर से बाहर िपट करने का कार्य काफी दिनों से चल रहा है लेकिन अभी तक िपट नहीं हो पाई है। उसे कब तक िपट करायेंगे और क्या अनाज मंडी में अनाज के व्यापार के अलावा और काम भी हो सकता है क्योंकि वहां और भी दुकानें बनी हुई हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने दिक्कत बताई है वह बिल्कुल ठीक है। पिछली सरकार ने इस इलाके के साथ जान बूझ कर ज्यादतियां कीं और इस इलाके की समस्याओं

को दूर नहीं किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बारे में पौलिसी सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही कोई फैसला लेकर इनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीश नैय्यर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी मेरे हल्के में गये थे तथा इन्होंने वहाँ पर गांव खामी में सब यार्ड बनाने के लिए हाँ की थी, यह बात कहां तक अमल में लाई गई है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि मैं खामी गांव में गया था। यह जिला फरीदाबाद का सबसे बड़ा गांव है। इसके आसपास के गांवों के किसानों को अपनी उपज लेकर बहुत दूर जाना पड़ता था। वहाँ पर मैंने यह बात कही थी कि खामी के लोग हमें जमीन उपलब्ध करा दें, वहाँ पर हम मार्केट कमेटी का सब यार्ड बना देंगे।

श्री बिजेन्द्र सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पानीपत अनाज मंडी का फर्श दो फुट ऊंचा है। वहाँ पर किसानों को अपना अनाज वगैरह डालने में काफी दिक्कत आती है। क्या इस मामले में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि किसानों की समस्याएं दूर हो सकें ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में सारे प्रदेश में जहाँ कहीं भी नई या पुरानी अनाज

मंडियां थीं और उनमें जो भी समस्याएं थीं चाहे फर्फा ऊंचे होने की है, या फर्फा नीचे होने की है, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक इनकी अपनी मंडी की बात है, अगर इनकी बात जायज होगी तो उसको ठीक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: यह जो आप सब यार्ड बनाते हैं और जो इससे भी छोटे यूनिट होते हैं, क्या उनको बनाने के लिए मार्किटिंग बोर्ड कोई सूओ मोटो सर्वे करता है ? लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सब यार्ड या मंडी वगैरह का निर्माण किस आधार पर किया जाता है ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, हमारा विभाग इस बात की जानकारी हासिल करता है कि सब यार्ड कहां खोला जाना चाहिए, मार्किट कमेटी कहां खोली जानी चाहिए और परचेज सेंटर कहां खोला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो आवक उस सब यार्ड की हो सकती है तथा जो उत्पादन उस गांव के सब यार्ड के आसपास होता है, इन सब बातों का अनुमान लगाना होता है। अगर वह अनुमान ठीक आता है तो हरियाणा सरकार का राज्य विपणन बोर्ड वहां पर सब यार्ड, परचेज सेंटर या मार्किट कमेटी खोलने पर विचार करता है।

श्री हर्ष कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि श्री जगदीश नैथ्यर ने खामी गांव में सब यार्ड खोलने की बात कही है, वह मेरा ही गांव है। मैं बताना

चाहता हूँ कि वहाँ पर सब यार्ड तो पहले से ही है जो कि 3 साल से चल रहा है। वहाँ पर जरूरत उसका फर्ष पक्का करने की है। उसके लिए जमीन भी ले रखी है। इसलिए मैं पूछना चाहूँगा कि उसका फर्ष कब तक बना दिया जाएगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर हुई जनसभा में यह बात नहीं आई थी कि वहाँ पर सब यार्ड पहले ही बना हुआ है। उन्होंने तो सब यार्ड की बात कही थी, जिसके लिए मैंने वहाँ कही थी। अब जैसे कि श्री हर्ष कुमार जी ने उसके फर्ष बनाने की बात कही है, इसके लिए मैं आवासन देता हूँ कि वह हम बना देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 763

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री नफे सिंह राठी सदन में उपस्थित नहीं थे।)

Augmentation of 220 K.V. Sub Station of Dhulkot

***787. Sh. Anil Vij:** Will the Chief Minister be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Government to augment the capacity of 220 KV. Sub Station at Dhulkot, Ambala ?

Minister of State for Public Relations (Sh. Attar Singh Saini): No, Sir. अध्यक्ष महोदय, इसके बनाये जाने की कोई योजना नहीं है क्योंकि इसके दो तीन कारण हैं। एक तो यह 1958-59 को लगाया गया था। इसकी मीटरिंग बहुत पुरानी हो

चुकी है। इसलिए इसकी क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर इसकी क्षमता बढ़ा भी दें तो यह सब स्टे इन एक ऐसी जगह पर है जहां पर इस सब स्टे इन के चारों तरफ भाहर है जिस कारण हम वहां से कोई नया फीडर या नई लाईन नहीं निकाल सकते। दूसरे इसका कंट्रोल बी0बी0एम0बी0 के पास है, हमारे पास नहीं है इसलिए हम इसकी क्षमता नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इलाके की समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने अम्बाला के पास टेपला गांव में इस काम के लिए 29 एकड जमीन ले ली है। यह जमीन हमारे कब्जे में है। इस पर 34 करोड रूपये का खर्च आयेगा। हम अगले महीने इसके टैण्डर निकाल देंगे। वहां पर समस्या को देखते हुए हमने 66 के0वी0 का एक सब स्टे इन अम्बाला कैंट के इण्डस्ट्रीयल एरिया में लगाने की योजना बनाई है इस पर अढ़ाई करोड रूपये की लागत आयेगी। इस पर एक महीने के अन्दर अन्दर काम भुरू हो जाएगा। यह हमने वहां के लिए आल्टरनेटिव इन्तजाम किया है। हम मौजूदा सब स्टे इन की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं।

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित

प्र नों के

लिखित उत्तर

Bus Permit

***613. Sh. Bhagi Ram:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to repair/reconstruct the building of Govt. Hospital, Ellenabad; and

(b) if so, the time by which the construction work of the said building is likely to be started/completed ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन):

(क) तथा (ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की विशेष मरम्मत 1994-95 में की जा चुकी है। भवन का पुनः निर्माण करने की बजाए नए स्थान पर एक 30 बिस्तरों वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है जो कि 3 वर्ष में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

Augmentation of Water Supply Schemes

***683. Sh. Ram Phal Kundu:** Will the Minister for Public Health be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to augment the water supply schemes of villages Muana, Rod, Malikpur and Danauli (Safidon Constituency) as the existing water supply scheme is not sufficient to meet out the requirement of above said villages ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री जगन्नाथ): जी नहीं।

Abolition of Octroi in the State

***688. Sh. Mani Ram:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-whether there is any proposal

under consideration of the Govt. to abolish octroi in the State ?

स्थानीय भासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा): जी, नहीं।

Bringing of New Colonies in Municipal Limits, Panipat

***407. Sh. Om Parkash Jain:** Will the Minister for Local Government be pleased to state-whether there is any proposal under consideration of the Govt. to bring the colonies adjacent to Panipat City within its Municipal limits ?

स्थानीय भासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा): ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Alleged Irregularity committed in the purchase of Road Rollers

***626. Sh. Ramji Lal:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) the number of road rollers purchased, if any, by the Haryana State Agricultural Marketing Board during the year 1995-96; and

(b) whether any irregularity committed in the said purchase has come to the notice of Govt. if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल):

(क) व (ख) 1995-96 में हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल के अनुरोध पर निम्ने एक सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल द्वारा

बोर्ड के लिए 14 रोड रोलरों की खरीद का आर्डर दिया गया। इस आर्डर के तहत 8 रोड रोलर नवम्बर 1996 में प्राप्त हुए। बाकी 6 रोड रोलरों का आर्डर रद्द करने हेतु निदेश एक सप्लाइज एण्ड डिस्पोजल को अनुरोध किया गया है। रोड रोलरों का आर्डर बिना बजट प्रावधान एवं बिना रोड रोलर चालकों के पदों के सृजन के दिया गया। साथ ही उस समय बोर्ड में उपलब्ध रोड रोलरों का भी पूर्णतया उपयोग नहीं हो रहा था।

Accounts of H.S.A.M.B.

***741. Sh. Satvinder Singh Rana:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-whether it is a fact the accounts of Haryana State Agricultural Marketing Board have not been audited since November, 1991; if so, the reasons thereof togetherwith names of officers/officials responsible for the said lapse ?

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): नहीं, श्रीमान जी,

Separation of Joint Ward Medical College, Rohtak

***771. Sh. Randeep Singh Surjewala:** Will the Minister of State for Medical Education be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to have separate wards for children and Tuberculosis patients at Medical College, Rohtak;

(b) whether it is a fact that the old building of children ward, Tuberculosis ward and old Intensive care unit of Medical College, Rohtak has falledn/collapsed; and

(c) if so, the time by which the buildings referred to in part (a) above are likely to be reconstructed ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार मढिया):

(क) चिकित्सा रोग एवं क्षय रोग तथा छाती रोग के लिए अलग वार्ड अक्टूबर 1974 से ही कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) विशेष मुरम्मत का कार्य चल रहा है और जून 1997 तक पूरा होने की संभावना है। इसी बीच इन वार्डों को मुख्य भवन में बदला गया है जहां वे कार्य कर रहे हैं।

Criteria adopted for recruitment of Police Constables

***789. Sh. Krishan Lal:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the details of the criteria, if any, adopted for the recruitment of Police Constables being made in the state at present togetherwith the district-wise number of such posts to be filled up; and

(b) the district-wise number of posts out of those referred to in part (a) above belonging to Schedule Castes and Backward Classes ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा):

(क) सिपाहियों की भर्ती से संबंधित सिद्धांतों का विस्तृत विवरण जैसा कि नियम 12.14 से 12.18 पंजाब पुलिस

नियमावली, 1934(जो हरियाणा राज्य पर लागू है) तथा समय समय पर संशोधित किया गया है, के साथ सीटों का आबंटन चयन परिषद बारे सदन के पटल पर प्रविष्ट (क) में रखा गया है।

(ख) अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग की श्रेणियों के लिए श्रेणी बार विवरण चयन परिषद वार सीटों का आबंटन प्रविष्ट (क) में दर्शाया गया है।

प्रविष्ट (क)

मानदण्ड संबंधित विस्तृत विवरण समय समय पर संशोधित किये गये पंजाब पुलिस नियमावली जो कि हरियाणा में लागू है, में अंकित है। प्रस्तुत अंतिम संशोधन हरियाणा सरकार द्वारा जारी राजपत्र (असाधारण) दिनांक जून 17, 1998 में छपा है। फिर भी इसके कुछ अंश निम्नलिखित हैं:—

(क) (आयु) उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। लेकिन अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूटी होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये ऊपरी आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों के अनुसार होगी।

(ख) भारीरिक काम

ऊँचाई: 5 फुट 7 ईंच

छाती: 33x34—1/2 ईंच

अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की ऊँचाई और छाती में एक एक ईंच की छूट दी जायेगी।

(ग) भौक्षणिक योग्यतायें

सामान्य एवं पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति एवं जन जाति

10वीं (मैट्रिक) 8वीं (मिडिल) पास

(घ) भारीरिक दक्षता परीक्षा

(1) 100 मीटर की दौड़

(2) 800 मीटर की दौड़

(3) लम्बी कूद

(4) ऊँची कूद

भारीरिक दक्षता परीक्षा के कुल 20 अंक हैं तथा उम्मीदवार को भारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने के लिए 9 अंक प्राप्त करने होंगे। उम्मीदवार जो भारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होंगे, का साक्षात्कार एक चयन परिशद द्वारा उसकी सिपाही के पद की योग्यता बारे होगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व के लिए अधिकतम अंक 15 निर्धारित किये गये हैं। उपरोक्त परीक्षा तथा साक्षात्कार के पचात उम्मीदवार चयन सम्पूर्ण श्रेष्ठता तथा आरक्षित पदों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। चुने गये

उम्मीदवारों की चिकित्सा उपयुक्ता के बारे चिकित्सा परीक्षा होगी। चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये गये उम्मीदवारों का सिपाही की नियुक्ति से पूर्व चरित्र सत्यापन करवाया जायेगा। उपरोक्त चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्ति का कार्य जहां भी रिक्तियां उपलब्ध होंगी, हरियाणा स ट्र पुलिस वाहिनियों के आदे ाकों द्वारा किया जाएगा।

(ख) वर्तमान में 1800 सिपाहियों की भर्ती का कार्य चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण सरकार की हिदायतों के अनुसार दिया जायेगा। चयन परिशद वार सिपाई की भर्ती के लिए सीटों का आबंटन इस प्रकार है:—

क्र 0 सं 0	चयन केन्द्र का नाम	आबंटि त सीटें	सामान् य वर्ग	अनुसूचि त जाति 'क' खंड	अनुसूचि त जाति 'ख' खंड	पिछ डे वर्ग 'क' खंड	पिछ डे वर्ग 'ख' खंड
1	अम्बाला	100	53	10	10	16	11
2	पंचकूला	20	11	2	2	3	2
3	कुरुक्षेत्र	60	33	6	6	9	6

4	कैथल	100	53	10	10	16	11
5	यमुनानगर	100	53	10	10	16	11
6	हिसार	120	63	12	12	20	13
7	भिवानी	140	73	14	14	23	16
8	फतेहाबाद	80	43	8	8	13	8
9	सिरसा	100	53	10	10	16	11
10	जींद	120	63	12	12	20	13
11	गुडगांव	120	63	12	12	20	13
12	फरीदाबाद	120	63	12	12	20	13
13	नारनौल	60	33	6	6	9	6
14	रिवाड़ी	60	33	6	6	9	6
15	रोहतक	100	53	10	10	16	11
16	झज्जर	71	52	1	10	16	12

17	सोनीपत	120	63	12	12	20	13
18	पानीपत	60	33	6	6	9	6
19	करनाल	120	63	12	12	19	14
	कुल	1800	954	180	180	288	198

सरकार की हिदायतों के अनुसार, 15 प्रति ात समतल आरक्षण (सामान्य वर्ग 4 प्रति ात, पिछडा वर्ग 'ए' ब्लाक 3 प्रति ात, 'बी' ब्लाक 3 प्रति ात एवं अनुसूचित जाति 5 प्रति ात) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित वर्ग एवं सामान्य वर्ग में दिया जाएगा।

Sand Mines

***767. Sh. Suraj Mal:** Will the Minister for Mines and Geology be pleased to state-

(a) the depth upto which the excavation of sand mines is legal; and

(b) whether the government is aware of the fact that the excavation of sand mines is being done illegally in Rai Consituency, if so, the details thereof together with the action taken in this regard ?

खान एवं भू-विज्ञान मंत्री (सेठ सिरी कि ान दास):

(क) हरियाणा में रेत का खनन खुली खानों द्वारा किया जाता है। धातुमय खान विनियमन 1961 के विनियमन 106(1)(2) के अनुसार ऐसा खनन, खनन खड्डों में सीढ़ियां बनाकर किया

जा सकता है तथा किसी सीढ़ी की ऊंचाई 1.5 मीटर से अधिक तथा चौड़ाई ऊंचाई से कम नहीं होनी चाहिए। इन विनियमन में गहराई की अधिकतम सीमा का प्रावधान नहीं है।

(ख) राई विधान सभा क्षेत्र से रेत की अवैध निकासी की कोई सूचना नहीं है।

Number of Cases registered under violation of Prohibition Policy

***611. Capt. Ajay Singh Yadav:** Will the Minister for Home be pleased to state-

(a) the districtwise total number of cases registered and vehicles impounded on account of selling illicit liquor/violation of prohibition act in the same till it remained enforced; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the government to withdraw the cases as referred to in part (a) above ?

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा):

(क) सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

(ख) नहीं।

विवरण

राज्य में जब तक मद्य निशोध नीति लागू रही, दर्ज किये गये मुकदमों की जिलावार संख्या एवं नाजायज भाराब बेचने में जब्त किए गये वाहनों की संख्या निम्न प्रकार से है:—

जिला	कुल दर्ज किये गये मुकदमों की संख्या	जब्त हुए वाहनों की संख्या
पंचकूला	3694	420
अम्बाला	6003	512
यमुनानगर	4935	383
कुरुक्षेत्र	7258	322
कैथल	7027	157
हिसार	4841	719
सिरसा	7957	724
भिवानी	4600	469
जींद	6875	377
फतेहाबाद	4359	407
गुड़गांवा	3926	555

फरीदाबाद	6046	727
नारनौल	3089	434
रिवाड़ी	3330	367
रोहतक	4492	259
सोनीपत	3546	239
करनाल	8627	233
पानीपत	4432	206
झज्जर	2271	262
रेल्वे ज (हरियाणा)	3176	17
योग	100484	7789

अतारांकित प्र न एवं उत्तर

Number of Electricity Connections

44. Sh. Satpal Singh. Will the Chief Minister be pleased to state-the total number of electricity connections in domestic, commercial, agricultural and industrial sectors in the State as on 31-3-96, 31-3-97 and to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): श्रीमान, उदधृत तिथि को श्रेणी अनुसार बिजली कनेक्शनों की कुल संख्या निम्न प्रकार थी:—

श्रेणी	31-3-96	31-3-97	31-5-98
घरेलु	2397663	2510670	2620330
गैर घरेलु	311466	321288	332957
कृषि	375934	366540	364800
औद्योगिक	76482	77422	79217

Number of Electricity Connections

45. Sh. Sampat Singh. Will the Chief Minister be pleased to state-the total installed power generating capacity in the State from its own resources and the actual power generated in the years 1975-76, 1990-91, 1997-98 and to-date ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): श्रीमान जी, राज्य की अपनी स्थापित उत्पादन क्षमता तथा कथित वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन का विस्तृत निम्न प्रकार थी:—

वर्ष	स्थापित उत्पादन क्षमता	उत्पादन लाख यूनिटों में

1975-76	145.8 मैगावाट	3235.8
1990-91	878 मैगावाट	26054.16
1997-98	863 मैगावाट	33675
1998-99 / 6 / 98	863 मैगावाट	6941

Electricity Consumed by the Tubewells

46. Sh. Sampat Singh. Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of power consumed by the Agricultural Tubewell in the State on metered and un-metered separately during the years 1990-91, 1996-97, 1997-98; and

(b) the total amount of bills issued to the aforesaid Agricultural Tubewells on metered and un-metered separately during the period as referred to in part (a) above ?

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल):

(क) ट्यूबवैलों द्वारा मीटर से या बिना मीटर के उपभोग की गई बिजली का विवरण निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	मीटर द्वारा (यूनिट लाखों में)	बिना मीटर के (यूनिट लाखों में)

1990-91	4363	20813
1996-97	5250	33586
1997-98	5108	31662
(ख) उपरोक्त उपभोक्ताओं को बिल में दी गई राशि निम्न प्रकार से थी :-		
1990-91	1239	3331
1996-97	3466	15079
1997-98	3347	16309

Number of Industries in the State

***47. Sh. Sampat Singh:** Will the Minister for Industries be pleased to state-

(a) the total number of industries registered in the State as on 31-3-96, 31-3-97 and to date together with the number of industries out of them are in running condition at present; and

(b) the total number of industries closed in the years 1996-97, 1997-98 and during the current financial year; if so, the reasons therefor ?

उद्योग मंत्री (श्री भास्कर पाल मेहता):

वांछित सूचना निम्न प्रकार से है:—

(क) राज्य में 31-3-96, 31-3-97, 31-3-98 और 30-6-98 तक कुल पंजीकृत इकाइयों की संख्या क्रम T: 132758, 138381, 143141 एवं 143499 है। इनमें से 65598 औद्योगिक इकाइयां इस समय चालू हालत में हैं।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं चालू वित्त वर्ष (30-6-98 तक) में कुल बन्द हुई औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्रम T: 130, 105 एवं भून्य है। भोश इकाइयां वर्ष 1967 से 1997 की अवधि में बन्द हुई। इन इकाइयों के बन्द होने की वास्तविक तिथि की सूचना नहीं है।

उद्योग के बन्द होने के कारण—

साधारणतः लघु उद्योग इकाइयां (क) एन्टरप्रीन्योरि 1प का अभाव (ख) तकनीकी कु ालता का अभाव (ग) भागीदारों में झगड़ा (घ) वित्तीय कठिनाई (ड.) मार्केटिंग की समस्या और (च) श्रमिक समस्या आदि के कारण बन्द होती हैं।

विभिन्न मामले [उठाना/ध्यानाकर्षण](#) प्रस्तावों की सूचनाएं इत्यादि

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु: अध्यक्ष महोदय, लोक पाल की नियुक्ति का जो बिल लाया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि इस

बिल पर बहस प्रारम्भ करने से पहले लीडर ऑफ दि अपोजी इन तथा हमारी पार्टी के नेता तथा श्री धीरपाल सिंह जी को हाउस में बुलाया जाता क्योंकि वे बहुत ही सीनियर और वरिष्ठ नेता हैं।
(विघ्न)

15.00 बजे।

वे बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं चौधरी भजन लाल करीब 12 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। लीडर ऑफ दि अपोजी इन अगर हाउस में न हों और इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते इसलिए उनकी भी मौजूदगी हाउस में होनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर ऑफ दि हाउस से कहूंगा कि वे इस बारे में एक बार फिर से पुनर्विचार करने की कृपा करें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है, आमतौर पर यह देखा गया है जो लोग पावर में होते हैं वे पावर के नो में पूरे सिस्टम को स्पॉयल कर डालते हैं उन लोगों पर चैक रखने के लिए यह बिल लाया गया है। पहले जो लोग राजनीति में आया करते थे वे सोशल सर्विस के लिए राजनीति में आते थे। मैंने अपने ही घर में अपने पिता जी को भी देखा है उनके अन्दर प्रिंसिपल्ज की बातें थीं। हमने कभी भी नहीं देखा कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल्ज के साथ समझौता किया हो लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे लाग राजनीति में आने लगे जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल रही है जिसकी वजह से समाज सेवा के रूप में इल्लिगल और क्रिमिनल माफिया राजनीति में आ गया है। यह आपने यू0पी0

के अन्दर भी देखा कि फूलन देवी जीत कर आई और दूसरे भी ऐसे सदस्य हैं जो सेडिड बैकग्राउंड के हैं। वे भी यहां पर आ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछली बार जब हाउस में ये लोक पाल बिल आया था तो इसे सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया गया था। उस वक्त लीडर ऑफ दि हाउस ने आ वासन दिया था कि इसका जो पीरियड होगा वह तब से होगा, जब से हरियाणा बना है लेकिन अब इसमें 20 साल का पीरियड रखा है।

मुख्य मंत्री (श्री बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सब पार्टियों के मैम्बरज थे और जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है हमने उसे मान लिया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूंगा कि इन्होंने ये कहा था कि जब से हरियाणा बना था उस वक्त से आज तक के सभी लोगों को इसके दायरे में लिया जाएगा। लेकिन अब इसमें पिछले 20 वर्ष के पीरियड को ही दायरे में लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब इस कमेटी में आपकी पार्टी के धर्मबीर गाबा भी थे, खु रीद अहमद भी आपकी पार्टी में ही हैं वे भी सिलैक्ट कमेटी में मैम्बर थे। यह तो यूनानिमस रिपोर्ट आई है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस के रिकार्ड की बात कर रहा हूं जो लीडर ऑफ दि हाउस ने कहा था

उस बारे में बता रहा हूँ। इस बारे में चाहें तो लीडर ऑफ दि हाउस ही बता दें। आज जिस तरह से डिफैक्टान करवाया जाता है। आप रोज समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। आज ये हालात हो गए हैं कि चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल हो, एम0पी0 हो या एम0एल0ए0 हो उनकी खरीद फरोख्त होती है।

कृषि मंत्री (श्री कर्ण सिंह दलाल): अध्यक्ष महोदय, कैप्टन साहब जो बात कह रहे हैं ऐसी बात कहने से पहले इनको अपनी अन्तरात्मा में झांकना चाहिए, उसको झखझोरना चाहिए इनके जो सुझाव हैं वह बहुत ही अच्छे हैं और हम सुझावों से सहमत भी हैं लेकिन जो यह भ्रष्टाचार भुरु हुआ वह इनकी पार्टी के नेता चौधरी भजन लाल ने किया। क्या इस बारे में बोलने से पहले इन्होंने अपनी अन्तरात्मा को झखझोरा था।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कह रहे हैं उसका इससे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने समता पार्टी के दो मैम्बरज का डिफैक्टान करवाया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये इस तरह से मुझे बीच में इन्टरवीन न करें।

श्री अध्यक्ष: आप दोनों बैठ जाएं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि लोकपाल बिल बहुत ही अहम बिल है आप सब कंट्रोवर्सियल बातों में जाए बिना इस पर अपने विचार रखें। I request the Members to avoid any type of controversy in the discussion on this Bill.

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास भार्मा): अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब हम लोकपाल बिल सदन में लाए थे तो उस वक्त चौधरी भजन लाल और ओम प्रकाश चौटाला भी सदन में थे। इसके अलावा सभी मैम्बर्ज ने यह कहा था कि इस बिल में सभी धाराएं विस्तृत नहीं हैं। हमने उनके कहने पर इसको डैफर कर दिया था और इस सदन की एक सिलैक्ट कमेटी बनाई। डिप्टी स्पीकर जी की अध्यक्षता में इसमें विपक्ष के मैम्बर्ज और रूलिंग पार्टी के मैम्बर्ज शामिल थे। सबने मिलकर इस पर विचार किया। इसमें बहुत ही अच्छे पार्लियामैंटेरियन खुर्शीद अहमद और धर्मबीर गाबा जी भी थे सब ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया है। यह विपक्ष पक्ष की बात नहीं है यहां पर लोकपाल विधेयक की सबने मांग की है। सभी पोलिटिकल पार्टिज ने अपने अपने घोशणा पत्र में इसके बारे में दिया था और सभी विधायकों की मांग इस बारे में रही है। किसी एक पार्टी से संबंधित यह मामला नहीं है। यह सबकी सामूहिक मांग है कि पूरी राजनैतिक व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसलिए इस बिल पर चर्चा करते समय कोई कंट्रोवर्सी तो आती ही नहीं है और आनी भी नहीं चाहिए। जो हमारा राजनैतिक ढांचा है उसको कैसे भविष्य में सुव्यवस्थित किया जाए, कैसे सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी लायी जाए ? इस बिल को लाने का मुख्य मकसद यही है। सभी पार्टीज की सहमति के बाद हम इस बिल को लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए उन सभी सदस्यों के नाम आपको पढ़ कर सुना देता हूँ जो सिलैक्ट कमेटी में थे। सभी पार्टीज के मैम्बर इस सिलैक्ट कमेटी में थे और इसमें किसी ने भी कोई डायसेंटिंग रिमार्क नहीं दिया है। इस कमेटी में मैम्बर थे— श्री फकीरचन्द्र अग्रवाल, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, श्री कर्ण सिंह दलाल, श्री कंवल सिंह, श्री हरमिन्द्र सिंह, श्री भागि पाल मेहता, श्री खुर्शीद अहमद, श्री बलवन्त सिंह मायना, श्री मनीराम, श्री चन्द्र मोहन, श्री हर्ष कुमार, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री जसवन्त सिंह, श्री सतपाल सांगवान, श्री नरेन्द्र भार्मा एवं श्री कपूर चन्द्र। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस सिलैक्ट कमेटी में सभी पार्टीज के मैम्बरज थे और सभी व्यक्तियों ने एक राय से इस बिल के बारे में कहा है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, इस बिल में एक कमी है जो मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। जो यह बिल हमारे सामने आया है— हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 as reported by the Select Committee. सर, बिल में सबसे महत्वपूर्ण उसके आब्जेक्ट्स एंड रीजन होते हैं। that is missing. We cannot go into the depth of the Bill until and unless copy of the objects and reasons are provided to us. But there is no statement of objects and reasons in the original Bill.

श्री अध्यक्ष: मैं आप सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यह बिल पिछले सत्र में सभी माननीय सदस्यों को मिल गया था और उसमें आब्जेक्ट्स एंड

रीजंस एवं अन्य सारी चीजें थीं। वह डैफर किया गया था। यह बिल पहले ही सबको दिया जा चुका है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैंने आपकी बात तो मान ली लेकिन जब सिलैक्ट कमेटी ने इस बिल को रि-ड्राफ्ट कर दिया है तो उसमें अमेंडमेंटस होते हैं। जब तक आब्जैक्टस एंड रीजंस हमारे सामने नहीं होंगे। How we can speak on the Bill.

श्री अध्यक्ष: सिलैक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उसने आब्जैक्टस एंड रीजंस नहीं दिए।

Mr. Speaker: We should get a full copy of the Bill otherwise there is no use.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सबमिशन करना चाहूंगा कि यह जो बिल है, उसमें जो सिलैक्ट कमेटी ने अमेंडमेंटस बताए हैं, वहीं हैं। पहले भी यह बिल सब मैम्बर्ज को सर्कुलेट कर दिया गया था। बिल में आब्जैक्टस एंड रीजंस दिए हुए हैं। मैं यह बिल बीरेन्द्र सिंह को पढ़ कर सुना सकता हूँ। मैं इनको स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्टस एंड रीजंस और फायनेंशियल मैमोरेण्डा इन दोनों की एक एक फोटास्टैट कापी करवाकर भिजवा दूंगा। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह: स्पीकर सर, मैं भी आपको इस बिल के बारे में जो सिलैक्ट कमेटी में अमेंड हुआ है जानकारी देना चाहूंगा। सर, दो बार पहले जब इस कमेटी की मीटिंग बुलायी

गयी तो दोनों ही बार इसका कोरम पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद फिर इसमें और मैम्बर्ज नौमिनेट किए गए थे। जब तीसरी बार इसकी मीटिंग हुई तो इस बारे में चर्चा चली कि इस बिल का दायरा कब से रखना है। जब से हरियाणा बना है तब से इसको लागू किया जाए या फिर पिछले बीस साल से लागू किया जाए। उस समय मैंने कहा था कि इसको पिछले बीस साल से लागू करने की बात मेरी समझ में नहीं आयी। तब से लागू करने का इसका क्या फायदा है। तो मेरे एक साथी कहने लगे कि आप बहुत बाद में बोले नहीं तो यह बात तय हो जाती। इसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति करने के बारे मैंने यह कहा था। (विधन)

श्री अध्यक्ष: मायना साहब, जब आप इस पर बोलेंगे तब यह बातें आप कहना। आप बैठ जाइए। कमेटी में क्या डिस्कस होता है क्या नहीं होता है। that is not to be discussed in the House because Committee is a House in miniature.

विकास मंत्री (श्री कंवल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मंत्री बनने से पहले मैं भी सिलैक्ट कमेटी का सदस्य था। (विधन)

Mr. Speaker: Now there should be not discussion about the working of the Committee. The Committee is a house in miniature.

श्री कंवल सिंह: सम्मानित सदस्य बलवंत सिंह जी वहां बैठे थे और इन्होंने खुद कहा कि 20 साल रखो। (विधन) हमने

यह कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भुरु से कहा है। (गोर एवं व्यवधान)

श्री बलवंत सिंह: कंवल सिंह जी, आप ऐसी बात न कहो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने यह नहीं कहा।

श्री कंवल सिंह: मैंने यह कहा था कि जब से हरियाणा बना है तब से मानो। उसके बाद इन्होंने कैलकुले इन की और उसमें ये फंस गए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कमेटी की रिपोर्ट यूनैनिमसली होती है
committee is a house in miniature.

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, इसमें सैव इन 3 के तहत, जो कि लोकपाल की अपोइन्मेंट के बारे में है, इसमें मेरा सुझाव है कि उस पर चर्चा में अपोजी इन भामिल हो, लीडर ऑफ दि अपोजी इन भामिल हो ओर पार्टी के जितने भी लीडर हैं उनको भी इसमें भामिल रहना चाहिए। लोकपाल को नियुक्त किया जाता है तो अपोजी इन को भी उस कमेटी में रखा जाता है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि लोकपाल मल्टी मैम्बर होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि इलैव इन कमि नर के मामले में भी अमेंडमेंट करके उसे मल्टी मैम्बर बनाया है। मैं चाहूंगा कि लोकपाल के मल्टी मैम्बर होने के बारे में भी सरकार विचार करे। अध्यक्ष महोदय, एक इसमें कलॉज दी हुई है। कि 'if he is connected with any political party, severe his connection with it' जो इस लोकपाल के अंदर व्यक्ति लिया जाए वह किसी

भी पौलिटीकल पार्टी से नहीं होना चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो वह व्यक्ति किसी एक विचारधारा का होगा तो एक विचारधारा का व्यक्ति होना चाहिए। सैक्शन 6 के तहत इसमें 70 वर्ष की एज का दे रखा है मेरा सुझाव है कि एज 68 साल होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें यह बात भी है कि उसको सैकेण्ड टर्म भी दिया जा सकता है तो मेरा सुझाव है सैकेण्ड टर्म नहीं दी जानी चाहिए। इसमें केवल एक टर्म दी जाए। सैकेण्ड टर्म का इसमें प्रौविजन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक इसमें ब्लाज 7(2) के तहत बात कही गई है—

“The procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misconduct or incapacity of the Lokpal under sub-section (1) shall be provided in the Judges (Inquiry) Act, 1968.....”

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासनी हुए)

मिसकंडक्ट की बात लोकपाल के मामले में विशेष महत्वपूर्ण है। लोकपाल के तहत बाकायदा यह होना चाहिये कि मिसकंडक्ट के मामले में क्या कार्यवाही की जाये। जब यह सिलैक्ट कमेटी बनाई गयी थी उनको यह देखना चाहिये था कि लोकपाल की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण कदम है अगर उसमें मिसकंडक्ट है तो इसके बारे में जरूर इस बिल में कोई न कोई बात होनी चाहिए। दूसरा मैंने जैसा कि पहले बताया कि लोकपाल के तहत

जब से हरियाणा बना है उसकी अवधि होनी चाहिए। क्लॉज 10(2) में दिया हुआ है—

“(2) Every Complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case.”

उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले में कहना चाहूंगा कि अगर एफिडेविट के बगैर कोई चीज ली जायेगी तो यह आम बात बन जायेगी और कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी। एफिडेविट होना बहुत जरूरी है और यह मेनडेटरी होना चाहिये कि अगर यह एफिडेविट फाल्स पाया गया तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी क्योंकि इस तरीके से राजनैतिक तौर से कोई भी व्यक्ति चिट्ठी लिखकर भेज देगा। दूसरा मैं क्लॉज 10(4) के बारे में कहना चाहूंगा कि इसमें फाईन केवल दस हजार रुपये रखा है क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री और दूसरे लोग हैं कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कंप्लेंट दे दे और यह पता लग जाये कि यह फाल्स कंप्लेंट है तो फाईन दस हजार की बजाये कम से कम 25 हजार रुपये होना चाहिए और तीन साल की सजा की बजाये कम से कम पांच साल की सजा होनी चाहिए। इसके अलावा क्लॉज 12 में जो प्रोसीजन in respect of inquiry उसमें यह सुझाव है कि इंक्वायरी कैमरे में नहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि जो भी लोकपाल की

इंक्वायरी हो वह बाकायदा पब्लिक होनी चाहिए तथा लोकपाल की रिपोर्ट को गवर्नर महोदय के पास न देकर हाउस के अन्दर रखना चाहिये क्योंकि गवर्नर महोदय के पास न तो लोकपाल है और कई बार गवर्नर रिपोर्ट को अपने पास रख लेते हैं। जो भी लोकपाल की रिपोर्ट हो उसे इन टोटो हाउस के सामने और पब्लिक के सामने रखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, क्लोज 16(1) (a) में यह लिखा है कि—

“That no allegation or grievance has been substantiated either wholly or partly, he shall close the case and intimate the competent authority concerned, accordingly.”

अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट करता है और सीरियस एलीगेशन है और वे बाद में फाल्स पाये जाते हैं तो उस कंप्लेंट को क्लोज करने की बात नहीं है उस पर ऐसा होना चाहिये कि जिस व्यक्ति की कोई गलत कंप्लेंट होती है और वह फाल्स पाई जाती है तो जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है उसके खिलाफ मानहानि का दावा करने की बात होनी चाहिए। इसके अलावा अपॉइन्टमेंट ऑफ स्टाफ के बारे में लिखा है कि—

“The Lok Pal may appoint in consultation with the State Govt. such officers and staff, as he may consider appropriate for the discharge function under this Act.”

कंसल्टेशन से हो जाये और सरकार लोकपाल को स्टाफ का पैनल दे दे लेकिन लोकपाल को स्टाफ का चयन करने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये ताकि लोकपाल चौइस के पढे लिखे

आदमियों को चुन सके। इसमें यह एक खास बात है। Now I would like to refer clause 20 of this bill in which it is mentioned-

“No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Lokpal or against any officer or employee, agency or person acting on his behalf in respect of anything which is in good faith or intended to be done under this Act.”

उपाध्यक्ष महोदय, यह “गुड फेथ” वाली बात समझ में नहीं आई है। इस क्लॉज के तहत जो कोई भी आदमी कंप्लेंट कर देगा तथा कह देगा कि “गुड फेथ” में की है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बिल आप पास करने वाले हैं, इसमें जो खामियां मैंने बताई हैं, उनको दूर किया जाए। इस समय हमारे नेता चौधरी भजन लाल जी तथा विपक्ष के नेता हाउस में मौजूद नहीं हैं और भी कई सदस्य मौजूद नहीं हैं। इसलिए जितने भी सदस्य इस समय हाउस में नहीं हैं, उनका इस समय उपस्थित होना बहुत जरूरी थी। यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि पिछली सरकारों के समय में जब से यह देना बना है, किसी भी बात पर या किसी भी मुद्दे पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, चाहे कोई टेंडर की बात हो। हर चीज को सीक्रेट रखा जाता था, फाइलों में बंद करके रखा जाता था। कहीं पर भी अकाउंटबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इसलिए यह जो लोकपाल बिल लाया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी चाहता हूँ कि इस

बिल को एक अस्त्र न बनाया जाए तथा राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ इसको इस्तेमाल न किया जाए। इसको बाकायदा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि पब्लिक लाईफ के अंदर हमारे जो लोग हैं, उनकी छवि बिल्कुल साफ रहे तथा इससे उनके ऊपर ऐ प्रै र बना रहे। इस लोक पाल बिल से राजनीतिक लोगों के एक डर बनेगा जो कि आज के समय में खत्म होता जा रहा है। ये लोग आज अपने कर्तव्यों को भूले बैठे हैं तथा मनमाने तौर पर कार्य कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आई०ए०एस० तथा आई०पी०एस० अधिकारीगण जिनके बारे में पब्लिक सर्वे ट की परिभाषा दी गई है, के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है जो कि होना चाहिए था।

श्री बंसी लाल: इस बारे में इस बिल में जिक्र किया गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं भाबदों एवं सुझावों के साथ मैं इस लोकपाल बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, एक आध बात को छोड़कर बाकी सभी अमेंडमेंटस पर सब सहमत हो गए हैं। मेरा अनुरोध है कि जब तक इस बिल की अमेंडमेंट तैयार हो, तब तक दूसरे बिलों को ले लिया जाये। (विघ्न) अगर इसी पर बोलना है तो हमें कोई ऐतराज नहीं।

श्री मनीराम, डबवाली (अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जो बात कहूँगा क्या वह हमारी बात मानी जायेगी जो हम सुझाव देंगे उसके बारे में आप हमें यकीन दिलायें कि हमारी बात मानी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: मनीराम जी, पहले तो आप लोकपाल बिल पर सुझाव दें।

श्री मनीराम: स्पीकर साहब, मैं लोकपाल बिल पर सुझाव ही दे रहा हूँ और क्या मैं यहां पर बंब चला रहा हूँ। (हंसी) जब भाराब बंदी का जिक्र आया था तो हमने कहा था कि ठीक है कि यहां पर भाराब बंदी होनी चाहिए। उस बारे हमने समर्थन दिया है। इसको अगर सही ढंग से लागू ही नहीं किया जायेगा तो फिर हमारा समर्थन देने का या सुझाव देने का फायदा ही क्या है ? मैं इस विधेयक के बारे में कहना चाहता हूँ कि इस समय यहां पर लीडर ऑफ दी अपोजी इन सदन में नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: मनीराम जी, जो लोकपाल बिल के लिए सिलैक्ट कमेटी बनी थी उस कमेटी के माननीय सदस्यों में से एक आप भी तो थे।

श्री मनीराम: सदस्य तो थे लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि उस दिन सांगवान साहब हमें लास्ट में लैकर गए तब तक हमें दूसरी जगह पर बैठाए रखा। इन्होंने इस कमेटी में क्या किया हमें

तो पता ही नहीं कि लोकपाल बिल होता ही क्या है ? हमें तो सांगवान जी से इस बारे में अंधेरे में रखा।

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आप यह बताएं कि जब डिस्कान चल रही थी तो आप इनको अंधेरे में कहां ले गए।
(हंसी)

श्री सतपाल सांगवान: अध्यक्ष महोदय, मेरी और इनकी सीट के बीच में चार मैम्बर और बैठे थे। पतानहीं इनको कैसे डाउट हो गया।

श्री मनीराम: स्पीकर साहब, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। हमें तो पता ही नहीं लगा।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, मैं समता पार्टी के सभी मैम्बरों की इज्जत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसको बोलने के लिए तो कह दिया लेकिन जो ये सामने बैठे हैं इन सब की पढाई लिखाई की डिग्री भी भामिल करें तो इन सबकी मिला कर एक अकेली एल0एल0बी0 डिग्री भी नहीं मिलेगी। आप इनसे पूछिये कि लोकपाल के मायने क्या होते हैं। इसमें कौन सी धाराए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं।

श्री मनीराम: लोकपाल बिल के मायने तो श्री बंसी लाल जी अच्छी तरह से जानते हैं अगर इनकी हिम्मत है तो जब से

हरियाणा बना है तब से यानी 1966 से लागू करवा दो, क्या दिक्कत है।

13.00 बजे।

अगर वाकई आप दूध के धुले हुए हो तो क्या तकलीफ है ? (विधन) आप इसे पीछे से लागू करें इसमें क्या दिक्कत है ? लोकपाल बिल ये लेकर आए हैं और इस पर चर्चा हुई है और इसमें कई सुझाव भी आए हैं। हमारी पार्टी के श्री रामपाल माजरा जी ने बहुत अच्छे सुझाव इस बिल के बारे में दिये हैं मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उन सुझावों को मान लिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर हमारे सुझाव माने ही नहीं जाते तो हमारे बोलने का फायदा ही क्या है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक ओर बात भी कहना चाहता हूँ कि लीडर आफ दी ओपोजी इन हाउस में न हों और दूसरी पार्टी के लीडर भी न हों तो इस डिस्क इन के कोई मायने नहीं रह जायेंगे। 1966 से जब से हरियाणा प्रदेश बना है तभी से इस बिल को लागू कान कर चलें तो इसमें लीडर ऑफ दि हाउस को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोक पाल की नियुक्ति के बारे में हाई कोर्ट के जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति 5 साल या 10 साल के लिए चाहे कर लें लेकिन एज फैक्टर को भी ध्यान में रखें। स्पीकर साहब, इन्हीं भावों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। (विधन एवं भाोर)

श्री बीरेन्द्र सिंह (उद्याना कलां): अध्यक्ष महोदय, इस समय लोकपाल विधेयक पर जनरल डिस्कान चल रही है। हम इसे फर्स्ट स्टेज पर कंसिड्रेडान भी कह सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल की सैकेण्ड स्टेज पर जब क्लॉज बाई क्लोज आप रीडिंग लें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखने की कृपा करें। हमने कोशिश की है कि इस बिल को एकमत से पारित किया जाए लेकिन बहुत से मुद्दों पर समता पार्टी के लोगों की रिजर्वेशन और हमारी भी पार्टी की रिजर्वेशन है। मैं यह भी चाहूंगा कि जब आप क्लॉज बाई क्लॉज इस बिल को लें उस वक्त भी अगर कोई सुझाव हो तो उस पर विचार करें। हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बेहतर तरीके से इसे लागू कर सकते हैं। दूसरी बात मैं लोकपाल विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा कि पिछले सेशन में यह बिल सदन के अन्दर प्रस्तुत किया गया था। इस बिल पर उस वक्त यह सहमति हुई थी कि इस विधेयक पर ज्यादा गहराई से अध्ययन करने के लिए और दूसरे प्रान्तों में जिनमें लोकपाल है उनमें किस किसके विधेयक लोकपाल के बारे में हैं, उनका अध्ययन करने के लिए यह जरूरी है कि कुछ समय मिले। इसी बात के तहत इस सदन के आदरणीय सदस्यों की एक सिलैक्ट कमेटी का गठन किया गया था। सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने देखी है। पिछले दो अठ्ठाई महीने के अर्से में इस सिलैक्ट कमेटी की चार मीटिंग हुई। इन चार मीटिंगों में से दो मीटिंगों में ही इस विधेयक के बारे में फैसला किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिलैक्ट कमेटी का एक

तरीका होता है और कमेटी को यह अख्तियार दिया जाता है, बाकायदा उसको एडवर्टाईज किया जाता है। अखबारों और समाचार पत्रों के माध्यम से तथा टैलीविजन और रेडियो के माध्यम से जनरल पब्लिक की भी इसमें ओपीनियन ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, वॉलैन्टरी संस्थाएं हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार काउंसिल है और जो रिटायर्ड जजिज हैं तथा हिन्दुस्तान के ज्यूरिस्ट हैं उनसे इस बारे में विचार लिए जाते लेकिन जिस तरह से सिलैक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पे 1 की है मुझे नहीं लगता है कि इस बारे में ठीक तरह से ध्यान दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, प्रान्त के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से भ्रष्टाचार ने अपने हाथ पैर फैलाये, आज जो राजनैतिक प्रणाली चल रही है, प्रजातान्त्रिक प्रणाली चल रही है उसको देख कर लोगों में विचार आने लगा है उनको भाक होने लगा है कि उन्होंने कैसे लोगों को वोट देकर भेजा है ? वे अपनी तरफ से एक अच्छे आदमी को एम0एल0ए0 बना कर भेजें और वह 6 महीने में ही अपना रंग दिखाने लग जाता है। वे सोचते हैं कि हमने कैसे आदमी को बिठाया है सबके सब एक ही थैली के चटटे बटटे हैं। जिसको भी चुनकर भेजते हैं उसकी कारगुजारियां 6 महीने में ही सामने आने लग जाती हैं। ऐसी बात सुनकर हमें भार्म आती है। हम विधायक लोग प्रजातन्त्र को अपना रोजगार का माध्यम बना लें, हम मुख्य मंत्री या मंत्री बन जाएं तो हम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों का अपने घर वालों का पेट भरने की सोचते हैं लेकिन जिन एक लाख लोगों की वोट

लेकर आते हैं उस बारे में भूल जाते हैं। ऐसी प्रथा से हम जनता का विवास खोते जा रहे हैं, हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं। आज इस प्रथा के कारण लोगों के मन में यह बात आ रही है कि अब यहां पर राजनीतिज्ञों की खरीद फरोख्त की जाती है। कितने ही यहां पर आया राम गया राम हैं हर मुख्य मंत्री की कोठिआ रहती है कि वह किसी तरह से अपनी सरकार बनाए।

श्री मनीराम: अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल कहते थे कि मुझे अकेले ही मुख्यमंत्री बना दो मैं अकेला ही सरकार चला लूंगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं कि आज आया राम गया राम की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसको जन्म किसने दिया। इसको जन्म उन भासन कर्ताओं ने दिया जो अपने भासन काल में अपने काम करवा गए और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुए तो कुछ कम सीटें मिलीं। उन्होंने दोबारा से अपनी सरकार बनाने के लिए खरीद फरोख्त की। मैं इस बारे में किसी व्यक्ति विरोध का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने प्रजातान्त्रिक ढांचे के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। लोगों के मन में तो अब यहां तक बात आई हुई है कि एक ऐसा समय भी आ सकता है जब लोग वोटिंग से एक दिन पहले अपने गांव के बाहर जत्था बना करके खड़े हो जाएंगे और वे उन वोटिंग करवाने आए गवर्नमेंट ऑफिसियल्स से यह कहेंगे कि भाई माफ करो हम तो किसी को भी वोट डालना नहीं चाहते। इसका मतलब यह

होगा कि उस दिन हरियाणा के लोगों के सब्र का प्याला लबरेज हो चुका होगा और लोगों को जो आज वि वास प्रजातंत्र के अंदर है, वह हिल जाएगा। स्पीकर सर, अगर ऐसा हो गया तो उन नेताओं के साथ हम सबसे बड़ा धोखा करेंगे, गुनाह करेंगे जिन्होंने 90 साल के संघर्ष के बाद 1857 से लेकर 1947 तक दे 1 को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी तथा उस दे 1 के अंदर प्रजातंत्र को बहाल करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया और अंग्रेजों की काल कोटरी में अपनी सारी जवानी बिता दी। मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा ? हरियाणा की पौने दो करोड़ जनता तो इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं होगी बल्कि इसके लिए हरियाणा का वह नेतृत्व जिम्मेदार होगा जिन्होंने हरियाणा में प्रजातंत्र के नाम पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है। भ्रष्टाचार यही तक सीमित नहीं है। मैं नहीं मानता कि अगर नौकरी बिक गयी तो भ्रष्टाचार हो गया। किसी छोट मोटे गरीब आदमी से पैसे लेने से कर्ब करने के लिए इस लोक पाल बिल का लाना निहायत ही जरूरी है। लेकिन यह बिल भी अगर भाराबबंदी की नीति के अनुसार हरियाणा में ऐक्सपैरीमेंट ही बना रहा तो रामबिलास जी यही आपकी पार्टी और हविपा के लिए बहुत ही अनफोरचुनेट रहेगा। हरियाणा में आज लोग और हरियाणा हर एक राजनैतिक दल इस बात का समर्थक है कि पूर्णतः भाराबबंदी हो।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के नेता श्री भजन लाल जी ने तो यह कहा था कि अगर हमारी सरकार आयी तो हम प्रोहिबिशन को हटा देंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह: वह नेता ही हट गया।

श्री बंसी लाल: कहां हट गया। भजन लाल जी ने एक पब्लिक मीटिंग में यह बयान दिया था कि अगर हमारा राज आ गया तो हम प्रोहिबिशन को हटा देंगे। अब आप क्या उसकी भी चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष: उस समय भायद बीरेन्द्र सिंह जी कांग्रेस में नहीं होंगे जब यह बयान दिया गया होगा।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो बीरेन्द्र सिंह जी कह रहे हैं कि भाराबबंदी पूरी तरह से नहीं हुई। हमने झज्जर का उप चुनाव भाराबबंदी के बाद ही जीता है और कान्ता भाराबबंदी की सबसे बड़ी सफलता है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं अपने भाई राम बिलास भार्मा जी से कहूंगा कि कई चीजों के बारे में आप भ्रम पैदा न करें। भजन लाल जी भी जब मुख्य मंत्री थी तो किसी एम0एल0ए0 ने उस समय कहा था कि कांग्रेस जीते या न जीते लेकिन मैं जरूर जीतूंगा। मैंने कहा जब कांग्रेस हारेगी तो आप कैसे जीतोगे। आज 60 एम0एल0एज0 में से केवल 9 ही आये हैं इसलिए मैं कहता हूं कि उस उपचुनाव को अब 6 महीने हो गए हैं

और अब सारी दुनिया बदल गयी है। अब आप किसी और उप चुनाव करवाने की गलती मत कर लेना वरना नतीजे उल्टे ही निकलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर सर, अगर चौधरी बीरेन्द्र सिंह का यह मानना है कि अब झज्जर उपचुनाव हुए 6 महीने हो गए हैं और अब दुनिया बदल गयी है तो मैं इनसे कहूंगा कि ये अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्य मंत्री भजन लाल जी से इस्तीफा दिलवाकर दोबारा चुनाव लड़ने को कहें तो पहता चल जाएगा कि दुनिया बदल गयी है या नहीं ? (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मनीराम जी, जब आपको बोलने के लिए समय दिया जाता है तब आप बोलते नहीं, अब आप बीच बीच में बोलते रहते हो। (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मैं कह रहा था कि इस बिल को लाने की बहुत आव यकता है और इसका पास होना भी बडा जरूरी है, लेकिन यह भाराब बंदी की तरह आपकी बदनामी का बायस न बन जाए इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि अगर राजनीतिक व्यवस्था जो प्रजातंत्र की है। प्रजातंत्र की व्यवस्था में अगर लोगों का वि वास पुनः बहाल करना है और जनता में यह वि वास पैदा करना है कि एम0एल0ए0 केवल हमारे लिए है वह अपने बेटे बेटियों या अपने परिवार के लिए नहीं है यह वि वास बहाल करना है तो लोकपाल बिल अहम भूमिका अदा

कर सकता है। उस वि वास की प्राप्ति अगर हरियाणा के लोगों को नहीं होगी तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा भारी धोखा फिर मिलेगा। आज हरियाणा के लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवानी है इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई गरीब आदमी भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता। कोई दफ्तर में बैठा चपरासी या क्लर्क भ्रष्टाचार को जन्म नहीं देता। जो सबसे ऊपर बैठता है चाहे वह नौकर हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था से पौलिटीकल पार्टी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वह सबसे बड़ा उच्चाधिकारी हो, चाहे पुलिस का अधिकारी हो। अगर हम सिपाही पर यह इल्जाम लगाते हैं कि वह ट्रक को रोककर 20 रुपये लेता है तो वह सिपाही भ्रष्ट नहीं है। भ्रष्ट व्यवस्था है उस व्यवस्था के खिलाफ हमें डंडा उठाना है। मैंने इस सदन में एक बात कही थी कि इस दुनियां में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया है। एक देश है जिसने 1962 के बाद अपने कर्मचारियों को ग्रेड रिवाइज नहीं किए हैं आज 35 साल हो गए हैं आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे चल रहा है ? सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि किसी को बगैर तंग करे कुछ देता है तो ले लो। आज होता यह है कि राजनेताओं के पास कोई गरीब आदमी चलकर आता है और कहता है कि साहब पटवारी इस काम के 300 रुपये मांगता है या यह कहता है कि उसने 300 रुपये ले लिए तो वह राजनेता कहता है कि यहां आने में तेरे भाड़ें में 300 रुपये खर्च हो गए होंगे वहीं से काम चला लेना था। (विध्वन)

श्री कर्ण सिंह दलाल: ऑन ए प्वायंट ऑफ आर्डर, स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करता हूँ कि बात उन्होंने बिल्कुल सही कही लेकिन कृपा करके उस नेता का नाम बताएं कि वह नेता कौन था जिसने यह बात कही ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी नेता का नाम लेने की नीयत से यह बात नहीं कही। आप सोचने और समझने की कृपा करें कि आपको इस व्यवस्था से लडना है। हरियाणा का हर वह व्यक्ति जो अपने को लोगों का प्रतिनिधि कहता है, उसको लडना है। यह एक आदमी की बात नहीं है यह बात उन सभी लोगों की है जो वोट लेकर उनको भूल जाते हैं और उनको ऊपर वाले की मेहरबानी पर छोड़ देते हैं कि चाहे मरते रहो, चाहे जिंदा रहो। इस व्यवस्था को बदलने की बात है। भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में घुस गया है। हमें हरियाणा की जनता को इंसाफ देना है और अगर जनता इंसाफ से दूर रही तो उनका वि वास प्रजातंत्र से खत्म हो जाएगा और उनको वि वास खत्म हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम उन बड़े बड़े नेताओं की होगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, आपकी होगी। प्रजातंत्र में वि वास तब बढ़ता है जब चौटाला जी जैसे व्यक्ति बार बार बोलने पर भी सदन में रहें। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी कहूंगा कि वे सुनने का धैर्य रखें। इसी प्रकार भजन लाल जी ने भी कुछ नहीं किया वे बोले और तुरंत उनके खिलाफ

रैजोल्यू इन आया। प्रजातंत्र में जो मान्यताएं हैं, जो परम्पराएं हैं, उनको ज्यादा मजबूती से लागू किया जाना चाहिए। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीयर सर, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आदरणीय चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी की हम सभी इज्जत करते हैं। उनका सदन में बैठने का बड़ा अनुभव है लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उन्होंने अभी अपनी बात दोहराते हुए बार बार भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कही है (विघ्न) स्पीकर सर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा तो चौधरी बीरेन्द्र सिंह कौन सी पार्टी में थे और इनके नेता कौन थे। मुझे आज भी दुख है कि आज भी चौधरी बीरेन्द्र सिंह, भजन लाल जी को डिफेंड कर रहे हैं कि चौधरी भजन लाल जी क्या गलत कह रहे थे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने अपनी आंखों से देखा कि चौधरी भजन लाल जी इस माननीय सदन में हमारे दो माननीय सदस्यों को खरीदने की बात कह रहे थे और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हमारे सदस्यों को धमका रहे थे। He always casts aspersion on the Chair, Sir. चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी बताईये कि इन सदस्यों का क्या कसूर था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी तो एक व्यवस्था की बात कह रहे थे उनका किसी से मोह नहीं है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मेरी व्याख्या मेरी तकलीफ यह है कि मेरे ये साथी कहते हैं कि you are soft towards Sh. Bansi Lal and on the other hand, I am defending Ch. Bhajan Lal and Sh. Om Parkash Chautala both. कोई सही बात कहे तो ठीक है। ये पार्टी के हिसाब से सोचते हैं कि लेकिन मैं कहता हूँ कि किस तरीके से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को और चौधरी भजन लाल जी को निकालने का रेजोल्यूशन दिया गया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था की बात तो यह हो गई है कि पिछले 5-6 साल से इस देश के अन्दर घोटालों का जो बाजार लगा है उस बाजार ने तो दुनिया के इतिहास में हिन्दुस्तान की छवि को धूमिल किया है उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता का हाथ हो चाहे.....
..... जी का हो जो आज भी हवाला कांड में फंसे हुए हैं। (विघ्न)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह एक पार्लियामेंटरियन है। पार्लियामेंटरियन के हिसाब से ये लोकसभा और विधान सभा की कई कमेटियों में रह चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। श्री हवाल कांड में नहीं हैं उनको तो श्री नरसिम्हा राव जी ने जान बूझ कर फंसाया था। सी0बी0आई0 की रिपोर्ट है जिसमें श्री जी का नाम नहीं है। (विघ्न) आप सुनिये तो सही। स्पीकर सर, श्री जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे और श्री मदन लाल खुराना उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री थे जब यह बात आई There and then they resigned from their posts. (Interruptions.) उन्होंने यह

एलान किया था कि जब तक इस जांच की रिपोर्ट नहीं आयेगी, हम निर्दोश साबित नहीं होंगे तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री
..... जी ने पार्टी के आग्रह करने के बाद भी चुनाव नहीं लडा और सी०बी०आई० की जो रिपोर्ट आई है, उसमें यह पाया गया है कि श्री और वी०सी० भुक्ल के खिलाफ चार्ज भीट देने के लिए या चालान करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है।
(विघ्न)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें और एड करता हूं कि इनके सारे नेता हवाला कांड में फंसे हुए हैं। इनके एक नेता श्री कमलनाथ ने जो हवाला कांड में फंसे हुए हैं, अपनी घर वाली से लोकसभा की सीट से त्याग पत्र दिला कर खुद चुनाव लडा था, खुद टिकट लेकर चुनाव लडा और हार गया।

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी किसी की व्यक्तिगत रूप से चर्चा न करें। इनका जीवन पाक साफ है, यह हम भी कहते हैं। लेकिन जिस पार्टी की ये बात कर रहे हैं, वह पार्टी राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है। पिछले दिनों दिल्ली में 'एच०के०एल० भगत की चारपाई कल्पनाथ के साथ' एक रूपए में, यह बात कहते हुए अखबार बिक रहे थे। अध्यक्ष महोदय वहां तो अखबार इसी नाम से बिकते हैं यानि कि कांग्रेस का चुनाव नि गान तिहाड जेल का दरवाजा बनने जा रहा था। अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री रहा हुआ आदमी, अखिल भारतीय पार्टी का अध्यक्ष रहा हुआ आदमी, सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दे कि

मेरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के बंद कमरे में नहीं बल्कि पटियाला हाउस में की जाए। तथा विज्ञान भवन में वे पैरवी मांगे, अच्छी बात नहीं है। उस पार्टी की बीरेन्द्र सिंह जी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन ये बेचारे तो ऊपर ऊपर से ही बोल रहे हैं, परन्तु फिर भी बात जम नहीं रही है। (हंसी)

श्री बंसी लाल: भीतरले में इनके भी नहीं जम रही है।
(हंसी)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगर इस सदन की सहमति हो तो बैठक का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है बैठक का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

दि हरियाणा लोकपाल बिल, 1996 (पुनरारम्भ)

स्थानीय भासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। श्री लाल

कृष्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (तोर)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्री जगन नाथ: स्पीकर सर, हम तो बोलते हैं 'जय गिाया राम' लेकिन ये बोलते हैं 'जय सुख राम' (हंसी)

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस भी 'सी' से भुरु होती है और 'क्रूान' भी 'सी' से भुरु होती है। कांग्रेस और क्रूान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। (हंसी)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि दोनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार एक दूसरी पार्टी की मदद करती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये सिर्फ बी०जे०पी० और हरियाणा विकास पार्टी के ही मुख्य मंत्री नहीं हैं, बल्कि हमारे इस सदन के तथा हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री भी हैं। खुराना जी पता नहीं इनके बारे में क्या बोल गए, हम तो बर्दाश नहीं करेंगे। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: अध्यक्ष महोदय, ऐसा बोलने की तो बीरेन्द्र सिंह जी की कला है। खुराना जी हमारे मुख्य मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं बोल गए। वे तो इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पीछे मिलिटरी के जितने भी जनरल रिटायर हुए हैं, वे सभी बी०जे०पी० ज्वाइन कर चुके

हैं। कुछ दिन पहले अभी जब श्री खुराना जी यहां आए तो मिलिटरी के जनरल्ज का नाम लेकर वे कहते थे कि चौधरी बंसी लाल जी का डिफेंस मिनिस्टर के रूप में एक बहुत ही अच्छा नजरिया था तथा उनके काम से डिफेंस पर बहुत अच्छा प्रभाव पडा। इस प्रकार से वे इनकी प्रोमोशन ही कर रहे थे।

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि जब जब देश में बी०जे०पी० कांग्रेस पर करारी मार मारती है, तब तब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी इसका बदला निकालने की कोशिश करते हैं। कल रात ही यह फैसला हुआ कि यू०पी० में बी०जे०पी० और बी०एस०पी० की सरकार बनने जा रही है और मायावती जी मुख्य मंत्री बनेंगी तथा 6 महीने के बाद कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री बनेंगे। इसलिए कांग्रेसियों की नींद हराम हो रही है। (हंसी)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी कल मायावती की ओथ के अवसर पर लखनऊ जाने वाले हैं। (हंसी)

श्री राम बिलास भार्मा: स्पीकर सर, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी लोकपाल विधेयक के परिप्रेक्ष्य में प्रजातंत्र पर, बहुत ही मौलिक मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के मित्र प्रजातंत्र की बात करें तो बात जमती नहीं है। क्योंकि पिछले 50 सालों के राजनीतिक इतिहास में प्रजातंत्र को जिस तरह से फाड़कर चीर

चीर किया गया है, उसके लिए कोई जज 4 भाब्द भी नहीं लिख सकता। एक अयोध्या की बात को लेकर 4 प्रांतों की चुनी हुई सरकारें जिनका किसी का 4 साल, किसी का 5 साल तथा किसी का 3-1/2साल पीरयड बाकी था, को किस तरह से तहस नहस करन दिया गया। लोगों के जजबात को किस तरह से बेरहमी से कुचला गया और किस तरह से गंगा यमुना के किनारे ब्रहम दत्त द्विवेदी की हत्या की गई, आपकी पार्टी के नेता जोगिन्द्र सिंह की हत्या की गई ? किस प्रकार का गदर मचा हुआ था ? वहां पर क्योंकि हमारा सबसे बडा दल है, इसलिए हमने एक प्रजातांत्रिक रास्ता निकाला है। अब इनको तकलीफ यह हो रही है कि हमने मायावती के पौंची कैसे बांधी। ये मेरे भाई दलितों के नाम पर राज करते रहे हैं। हरिजनों के नाम पर राज करते हैं। (विघ्न) करतार देवी जी ये आपको तरकारी बनाकर खा जाएंगे आप इनके पक्ष में मत बोलें। हरिजनों का कल्याण तो हमने किया है। दलितों को तो हमने गले से लगाया है। जिस पार्टी के 60 एम0एल0एज0 हों और हमारी पार्टी के 200 एम0एल0एज0 हों उसको नेतृत्व स्वीकार करना एक बहुत बडी बात है। यह कलेजे की बात है। जिस तरह से दलितों को हमने गले से लगाया, उसी तरह से हमने उनकी बात मानी है। (गोर)

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि हविपा और भाजपा की सरकार में हम सारे चीफ मिनिस्टर हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी है। बीरेन्द्र

सिंह जी आपको यह बात कहने की जरूरत नहीं है वहां भाजपा के किसी सदस्य को भी 6 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा हमारी सांझा सरकार में सारे चीफ मिनिस्टर हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं लोकपाल विधेयक पर बोल रहा हूँ। लोकपाल विधेयक इसलिए लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि सारी व्यवस्था खराब होती जा रही है। आज ये मायावती को राखी बांधने की बात करते हैं। जब ये उनको चार महीने राखी बांध कर फिर तोड़ कर चले गए थे, तब कहां गई थी बीजेपी।

श्री राम बिलास भार्मा: भाण्डे कई बार खडकते हैं, परन्तु आपकी तरह टूटते नहीं हैं वह तो हमारी आपस की बात है।

श्री कर्ण सिंह दलाल: पहले आप कांग्रेस पार्टी छोड़ कर कांग्रेस तिवाड़ी में चले गए और फिर कांग्रेस पार्टी में आ गए।

श्री बीरेन्द्र सिंह: हमने राखी वाखी किसी को नहीं बांधी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राखी नहीं बांधी ये तो सूत का गठड़ उठा कर ले गए थे। (हंसी)

श्री जगन नाथ: स्पीकर साहब, बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राखी तोड़ कर ले गए, इस बात पर मुझे पंडित लख्मीचन्द की

दो लाईनें कहनी हैं कि देवर भाभी लड़े यह ओसी लड़ाई ना सै।
(हंसी)

Mr. Speaker: Mr. Birender Singh Ji, please conclude.

श्री बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, लोकपाल विधेयक से प्रजातंत्र के अंदर एक स्वस्थ वातावरण बनेगा। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को ही राजनीति मानते हैं उनसे लड़ने का मौका मिलेगा। जिस गरीब आदमी से दो लाख रुपए रि वत के लिए गए, उस गरीब आदमी को रि वत लेने वाले के खिलाफ िकायत करने का मौका मिलेगा। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रजातांत्रिक ढांचे में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंदर जगह नहीं है, इस नोटंकीबाजी से इस दे ा में एक सबसे अच्छे नेता को सरकार बनाने का मौका मिला, खु श्री अटल बिहारी वाजपेई जी को लेकिन गलती से उनकी पार्टी गलत थी। राष्ट्रपति महोदय ने अटल बिहारी वाजपेई जी को सरकार बनाने का मौका दिया और कहा कि आप बड़े भले आदमी हैं। दे ा के दूसरे राजनीतिक दल भी आपको भला मानते हैं, आप सरकार बनाएं।

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगी कि श्री वाजपेई जी ने राजनीति का व्यापारीकरण नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि लोकसभा में सांसदों को खरीद कर प्रधान मंत्री बने, उन्होंने व्यापारीकरण नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगली बार आएंगे तो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। यह काम तो

आपके नेता चौधरी भजन लाल ही कर सकते हैं जो 1980 में 36 विधायकों को लेकर कांग्रेस में शामिल हो गए और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीदो फरोख्त कर सी0बी0आई0 का मुकदमा झेल रहे हैं। क्या बाजपेई जी भी इसी तरह से करते ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा। वह सदन प्र संसा का पात्र है क्योंकि साम्प्रदायिक ताकतों का साथ देने के लिए सिर्फ 3 एम0पीज0 चौधरी बंसी लाल जी की पार्टी के छोड़ कर, हरियाणा प्रान्त का कोई एम0पी0 उनके साथ नहीं गया। और इस बात का सबूत है कि इस देा की जनता जात पात और साम्प्रदायिकता से दूर रहना चाहती है। इसलिए बेाक आज का प्रधान मंत्री 46 आदमियों की पार्टी का प्रधान मंत्री हो लेकिन एक सबसे बड़ी पार्टी जो है, वह उस राज को चलाये हुए है क्योंकि इस देा के लोगों ने प्रजातंत्र में इस देा की साम्प्रदायिक ताकतों और जातिवाद से लडना है। (विघ्न) उसी लड़ाई का कारण है (विघ्न) आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं। (विघ्न)

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इनकी पीडा सच्ची है। यह इतने धर्म निरपेक्ष हैं कि लोगों ने स्वीकार नहीं किया। ये दिल्ली में हारे, महाराष्ट्र में हारे और पंजाब में हारे। इसके अलावा जितने भी बाई इलैक्ान हुए, वहां पर हारे। आपकी पार्टी की क्या हालत हो रही है, स्वयं सोचो।

श्री अध्यक्ष: ये कब कह रहे हैं कि ये जीते हैं। ये खुद मानते हैं। आपको वैसे ही बहम हो गया है। बीरेन्द्र जी, आप जल्दी करिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर देता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के लोगों को जब भी मौका मिला, राजनीतिक फैसले करने का उन्होंने सही फैसले दिये। लोगों के फैसले कभी गडबडाया नहीं करते। फैसले तब गडबडाया करते हैं जब लोगों द्वारा राजनेताओं को सत्ता सौंपने के बाद उन राजनीतिज्ञों द्वारा गलत फैसले होते हैं। लोगों के फैसले कभी गलत नहीं होते। अबकी बार हरियाणा में भी लोग कोई फैसला नहीं कर सके कि किस पार्टी को बहुमत दें। (विघ्न) वह किसी एक दल के पक्ष में फैसला नहीं दे सके। उसकी वजह यह है कि लोग नए सिरे से विवास पैदा करना चाहते हैं। लोग जिसको चुनकर भेजेंगे स्वार्थ से ऊपर उठकर भेजेंगे। (विघ्न) मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी लोकपाल बिल तो ले आये हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि आपने जो 28 मंत्री बनाए हुए हैं, इनकी जायदाद की सूची आप सभी से ले लें। (विघ्न)

श्री बंसी लाल: सब ने दे रखी है।

श्री बीरेन्द्र सिंह: यदि दे रखी है तो वह सब की सब अखबारों में प्रकाशित करवा दें ताकि हरियाणा के लोगों को पता

चल सके कि किसी मंत्री के पास मंत्री बनने से पहले कितनी संपत्ति है, कितने हाथी घोड़े हैं। उसके बाद जब दो तीन साल बीत जायें तो लोगों की पैनी निगाह देख सके कि किसी मंत्री के पास अब मंत्री बनने के बाद कितनी सम्पत्ति है और वे यह देख सकें कि किसी का विवास डगमगा तो नहीं गया। (विघ्न) ठीक है, सभी सदस्यों की सम्पत्ति की सूची ले ली जाये और उनकी भी प्रकाशित की जाये, ऐसी व्यवस्था भी आप करें। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि नौकर ग्राही के ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। नौकर ग्राह, आई०ए०एस०, आई०पी०एस० व एच०सी०एस० को समाज में बड़ा मान मिलता है। उसकी दौलत यही है कि वह देश के 3, 4, 5 हजार आदमियों में से आता है। उसको सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसने देश की 25, 30, 35 सालों तक सेवा करनी होती है। अगर किसी आई०ए०एस० आफिसर ने या किसी बड़े अधिकारी ने पैसा कमाना है तो बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करके वे किसी बड़ी कम्पनी में नौकरी कर सकते हैं। यदि किसी अधिकारी को अपनी आर्थिक अवस्था ठीक करनी है, तो वह भी किसी बड़ी कम्पनी में जा सकता है लेकिन जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और बड़े ऊंचे पदों पर बैठे हैं जिनके फैसले से ट्रेजरीज से पैसे निकलते हैं उनके काम की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और उनसे सम्पत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए।

श्री बंसी लाल: ऐसे लोग हर साल अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह: मुख्य मंत्री जी यह बात मैं जानता हूँ कि ये ब्यौरे किस प्रकार के होते हैं जो कि सरकारी दफ्तरों में दिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारियों की हरियाणा की जनता के प्रति सबसे बड़ी सेवा यही है कि वे ईमानदारी से और सेवा भाव से अपने कार्य को करें और निजी स्वार्थ से ऊपर उठ कर उनको काम करना चाहिए। अगर कोई कृपान होती है तो उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेयर लेने जरूरी हैं, वह बतौर लोक पाल की नियुक्ति भी हो सकता है। जो भी लोक पाल लगाया जाए वह हाई कोर्ट का जज हो सकता है। अगर किसी के खिलाफ चार्जिज लगते हैं तो उनको फैसला करने में ज्यादा देरी न हो, इसके लिए एक सब कमीशन की जरूरत पड़ेगी या मल्टी मैम्बर कमीशन के बारे में विचार करना पड़ेगा क्योंकि केवल एक व्यक्ति सभी केसों का निपटारा नहीं कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक मैम्बरी लोक पाल की नियुक्ति की स्थापना के लिए यह विधेयक लाया गया है। हरियाणा के राजनीतिक सिस्टम का जिस प्रकार का प्रशासनिक ढांचा है उसमें एक मैम्बरी लोक पाल सफिफैंट नहीं होगा क्योंकि जो भी कार्यवाही हो उसमें ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है इसलिए मल्टी मैम्बर लोक पाल की स्थापना करनी चाहिए। अगर तीन मैम्बरी लोक पाल की स्थापना की जाएगी तो उससे सही, जल्दी और ठीक न्याय

कम्प्लेनैट को मिल सकेगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ जो कि सोचने और विचारने की बात है कि लोक पाल क्या करेंगे। कोई आदमी उनको रिक्वायत करेगा तो उस रिक्वायत की जांच कौन करेगा, लोक पाल का दायरा क्या होगा ? एक तो एक्ट के तहत वह कांफिडेंसियल रिक्वायत की जांच खुद करे या फिर किसी दूसरी या तीसरी एजेंसी से उसकी जांच करवाए। यह सारा टाइम कन्ज्यूमिंग वर्क होगा, उसके बाद वह अपनी रिक्मेंडे एन्ज करेगा। उन रिक्मेंडे एन्ज को सरकार के पास भेजा जाएगा और फिर सरकार उस पर केस दर्ज करेगी। यह बड़ा लम्बा प्रोसैस है। साल, दो साल या अढाई तीन साल तो चार्जिज एस्टेब्लिश होने में ही लग जाएंगे फिर उसके बाद विस्तार से जांच भुरू होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि यह जो इतनी लम्बी डिले है इसको हम किस प्रकार से नैरो डाउन कर सकते हैं। फर्ज करो एक रिक्मेंडिंग अधिकारी या डिफरेंट सर्वेंट के खिलाफ लोकपाल ने इन्क्वायरी की है, उसका प्रोविजन क्या है क्या उसे प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी मानेंगे या कि प्राइमाफेसिया मानेंगे। प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी उसके बाद होगी। If there is sufficient evidence against the person concerned then a regular enquiry would take place and after completing the regular enquiry, the recommendation would be sent to the Government and the Government would direct the Police Station or the authorities concerned to register a case against the person. यह कैसे एक्सपिडाईट कर सकते हैं या करवा सकते हैं यह बात भी बैठ कर सोचने की बात होगी। अध्यक्ष महोदय,

तीसरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि इसके अन्दर प्रोविजन किया गया है कि मुख्य मंत्री, स्पीकर ऑफ दि हाउस और कंसर्ड चीफ जस्टिस से कंसलटे इन करेंगे और गवर्नमेंट उसे अप्वायंटमेंट करेगी। हमें यह खद ता है कि जिस वक्त भी यह अप्वायंटमेंट होगी तो उस वक्त के मुख्य मंत्री द्वारा ही होगी। हम यह चाहते हैं कि इसमें लीडर ऑफ दि अपोजी इन को भी भाामिल किया जाए। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हाउस में जिनकी पार्टी की मैजोरिटी 1/10 हो, उनको भी इसमें भाामिल किया जाए ताकि सिलेक् इन के वक्त ठीक आदमी का चयन हो सके और लोगों का वि वास उसमें बना रहे। अध्यक्ष महोदय, कल मैं एक सक्मेलन में बोल रहा था तो किसी ने कहा कि फलां फलां आदमी भ्रष्ट है और वह लूट कर खा गया। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे अन्दर इतनी मौरेलटी होनी चाहिए कि उस आदमी का नाम लेकर कहें कि फलां आदमी पैसा खा गया है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे तो लोक पाल बिल से इस प्रदे ा को भ्रष्टाचार मुक्त इन्वायरमेंट मिलेगा।

Mr. Speaker: Hon'ble Members, I have received a notice of amendment to various clauses of the Bill from the Hon'ble Chief Minister. Now the Hon'ble Chief Minister will move the amendment.

मुख्य मंत्री (बंसी लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए एक बात सदन में रखना चाहता हूँ। जब हमने पहले यह बिल बनाया था उसमें मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर

थे। इसी तरह से प्रैजिडेंट या वाइस प्रैजिडेंट या मैम्बर ऑफ म्यूनिसिपल कमेटी प्रैजिडेंट या वाइस प्रैजिडेंट या मैम्बर ऑफ जिला परिशद तथा चेयरमैन या वाइस चेयरमैन या मैम्बर ऑफ पंचायत समिति, प्रैजिडेंट या वाइस प्रैजिडेंट या मैम्बर्ज ऑफ अपैक्स बॉडी, प्रैजिडेंट, वाइस प्रैजिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ को-आप्रेटिव सोसाइटी थे। इसमें जो मैम्बर्ज बाद में लगाए हैं वे सिलैक्ट कमेटी ने लगाए हैं हमने नहीं लगाए हैं। बहन करतार देवी जी ने जो कहा कि इस क्लोज को हटा दो तो उस बात पर हम एग्री कर गए हैं। हम आफिस बेयरर में मेयर, सिनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को रखेंगे, बाकी जो मैम्बर्ज हैं उनको हटा देंगे। क्लोज 2(6) में प्रैजिडेंट, वाइस प्रैजिडेंट म्यूनिसिपैलिटी रखेंगे उनके मैम्बर्ज को नहीं रखेंगे। क्लोज 2(6) में प्रैजिडेंट, वाइस प्रैजिडेंट ऑफ जिला परिशद तथा चेयरमैन, वाइस चेयरमैन ऑफ पंचायत समिति रखेंगे। इन्होंने जो सुझाव दिया है उसको हम मानते हैं। प्रैजिडेंट, वाइस प्रैजिडेंट, अपैक्स बॉडी और इसके मैम्बर्ज को भी हम छोड़ते हैं। को-आप्रेटिव सोसाइटी के मैम्बर्ज को भी हम छोड़ते हैं। इसमें से हम प्रैजिडेंट, वाइस प्रैजिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर को रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक सुझाव आया कि इसमें कंसलटे इन के लिए लीडर ऑफ दी अपोजि इन भी हो। तो जहां हम हरियाणा असेम्बली के स्पीकर महोदय को रख रहे हैं वहीं पर मैं यह अमेंडमेंट भी मंजूर करता हूँ कि हम लीडर ऑफ दि अपोजि इन को भी इसमें रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 20 साल वाली बात आई है उसको हम

10 साल करने जा रहे हैं। (विध्न) जब वोटिंग होगी तब आप वोट डाल लेना। मैं इससे इंकार तो नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, समता पार्टी की तरफ से एक बात और आयी। अध्यक्ष महोदय, इस बिल की क्लॉज 10(2) में लिखा हुआ था—

“Every complaint involving an allegation or grievance shall be made in such form, and in such manner and shall be accompanied by such affidavit as may be prescribed. However, the Lokpal may dispense with such affidavit in any appropriate case.”

अब हम एप्रोप्रिएट केस की जगह कर रहे हैं appropriate case for reasons to be recorded in writing तो अध्यक्ष महोदय, इन अमेंडमेंटस के साथ अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अब तो हमें भायद एल0आर0 से भी पूछना पड़ेगा कि क्या अब यह बिल 1997 बन जाएगा ?

वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि म िनरी 1989 में आई और उस वक्त चौधरी देवी लाल जी मुख्य मंत्री थे और 75—80 करोड रूपये की म िनरी आई। यह 75—80 करोड रूपये की म िनरी तो जरूर मंगवाई गई लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। चौधरी देवी लाल के समय में अगर यह 210 मैगावाट की प्लांट कम्पलीट हो जाता तो इसकी लागत 238.26 करोड रूपये आती।

Sh. Krishan Lal: Speaker Sir
(Interruptions).

Mr. Speaker: Sh. Krishan Lal ji, please take your seat otherwise, I will have to name you.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, अगर यह म िनरी उस वक्त यूज हो जाती तो यह प्लांट 238.26 करोड रूपये में बन जाता लेकिन यह म िनरी पेटियों में पडी रही और उसको जंग लगता रहा। हमने आ कर के इन पेटियों को खुलवाया है और इस म िनरी को इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष महोदय, 1991 में चौधरी भजन लाल जी के समय में अगर यह प्लांट लग जाता तो 320 करोड रूपये में यह बन जाता और अगर 1993 में इसे लगा देते तो यह 405 करोड रूपये में बन जाता। अध्यक्ष महोदय, जितनी देर इसको पूरा होने में होती रही उसी अनुपात में रेटस भी बढ़ते रहे और इसी कंस्ट्रक् िन कास्ट बढ़ती जा रही है। अब इस प्रोजैक्ट के लिए हमने 634 करोड रूपये की लागत आंकी है और

अब 634 करोड रूपये में इसे हम बना रहे हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, छठे यूनिट का यह काम तेजी से चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बारह प्लांट 25-25 मैगावाट के फील्ड में हम लगवा रहे हैं, इसकी क्लियरेंस दे दी है। इसकी अनुमति भारत सरकार से आनी है और अपने आप पैसे का प्रबन्ध कर रहे हैं। जैसे ही पैसे का प्रबन्ध हो जाएगा उन पर काम चालू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारा पावर परचेज एग्रीमेंट है पानीपत की आयल रिफायनरी से हो गया है। वह हमें अल्टीमेटली मार्च 2001 तक 301 मैगावाट बिजली देगी। यह जो पानीपत की रिफायनरी बनी है उससे एक रिफ्यूज निकलता है जिससे बिजली पैदा होती है जो कि हमें वहां पर मिलेगी। यमुना नगर में 250-250 मैगावाट के दो प्लांटों के टैंडर आज कल में निकलने वाले हैं, भायद ई ू भी हो गए हों। इस तरह से जो हम पावर को बढ़ा रहे हैं इसके बढ़ाने से बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे और प्रदेश को बहुत फायदा होगा। इसके बाद इन्डस्ट्री में भी फायदा होगा। सदन में यह भी एलिंगे लान लगाया गया कि हमारी सरकार के आने के बाद हरियाणा में कोई भी इण्डस्ट्री नहीं लगी है। मैं इनको यह बताना चाहता हूँ कि हम उनको इनवाइट ही नहीं कर रहे हैं। हम उनको इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर हमने उनको बुला लिया, उसने यहां पर पैसा इन्वैस्ट कर लिया और हम उसको पूरी बिजली नहीं दे पाएं तो ठीक बात नहीं होगी। वह तो फैक्टरी लगा लेगा और मजदूर रख लेगा तो उससे हमारे लिए भी ला एण्ड आर्डर की प्रोब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे यहां पूरी

बिजली न होने के बावजूद भी इण्डस्ट्रीलिस्ट हमारे पास हरियाणा में इंडस्ट्री खोलने के लिए आते हैं। वे इसलिए आते हैं क्योंकि हरियाणा में ला एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। अध्यक्ष महोदय, एक बात और यहां पर कही गई कि वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि हम उसाके खुर्द बुर्द करना चाहते हैं उसको हम हज्म कर जाएंगे। ये इस प्रकार की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि इन भाईयों ने वह देखा ही नहीं है और इनकी हैसियत ही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक उस इन्स्टीच्यू इन को और उस कारपोरे इन को लोन देता है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के आदमी आते हैं, वे सर्वे करते हैं, हिसाब करते हैं, पार्टी को साथ बिठाते हैं और यह भी देखते हैं कि यह पार्टी पैसा वापिस दे सकती भी है या नहीं दे सकती है। यह कंडी इन तो उनकी सबसे पहले है। कोई बैंक और कोई भी मन लैंडर तब तक पैसा नहीं देगा जब तक उसको उसका पैसा वापिस आने की गारंटी न हो। सदन में एक साथी ने कह दिया कि हम वर्ल्ड बैंक से एक हजार करोड रूपया खुर्द बुर्द करने के लिए ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक का जो लोन होता है उस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सी जगहों पर जहां पर काम करवाते हैं वर्ल्ड बैंक सीधा पैसा दे देता है। उसके साथ जो चीजें हम खरीदते हैं वर्ल्ड बैंक के आदमी इसकी इन्सपैक इन करते हैं कि वह चीज ठीक है या नहीं है उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं और वे यह भी देखते हैं कि वे चीजें पूरी हैं या नहीं हैं। वे यह भी देखते हैं कि वह चीज ठीक जगह पर भी लगी है

कि नहीं लगी है। अध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक वालों ने हमें वहां जाकर के जो चिट्ठी लिखी है अगर वह हम पढ़ कर यहां पर सुना दें तो इनकी देही में बाकी कुछ न रहेगा। इतनी बढ़िया चिट्ठी उन्होंने हरियाणा सरकार के बारे में लिखी है। अध्यक्ष महोदय, जो वर्ल्ड बैंक से हमको लोन आता है चाहे वह बिजली बोर्ड के लिए आए या चाहे वह डब्ल्यू0आई0सी0पी0 के लिए आए, उस पर 13 परसेंट ब्याज होता है। और जो रूपया हमको वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में मिलता है उस लोन में 30 परसेंट भारत सरकार हमको ग्रांट देती है और 70 परसेंट लोन हमको वापस करना है। अध्यक्ष महोदय, जहां इतनी तसल्ली से काम हो रहा है वहां इनको सबसे बड़ी बात यही लगती है कि बिजली का काम साल डेढ साल में बहुत बढ़िया हो जाएगा तो फिर ये क्या कहेंगे इनके पास फिर कहने को कुछ भी नहीं रहेगा ? अध्यक्ष महोदय, अभी हमें 240 करोड रूपये का लोन मिला है। वर्ल्ड बैंक वालों ने यह 240 करोड रूपया हमें पर्टीकुलर आईटम के लिए पर्टीकुलर स्कीम के लिए दिया है। जो 240 करोड रूपया हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है इसमें जो जो स्कीम भामिल हैं वह इस तरह हैं ओवर लोडिड फीडर्ज को जिनमें पूरी बिजली नहीं ले जायी जा सकती, को मजबूत करने के लिए एवं सही बनाने के लिए हम ऐसे फीडर्ज को रिप्लेस करेंगे। हम 50 फीडर्ज 35.79 लाख रूपये की कीमत से खरीदेंगे। इसके अलावा जो ट्रांसफार्मर्ज छोटे रह गए हैं, उनकी आगमेंटे उन के लिए हम साढे पांच हजार नये ट्रांसफार्मर्ज बदलेंगे। इनकी कीमत चालीस करोड 66 लाख रूपये होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हम एक 220 के0वी0 का सब स्टे इन पल्ला में बनाएंगे। इस सब स्टे इन पर 18 करोड 50 लाख रूपये की लागत आएगी। इसके अलावा हम तीन नयी लाइनें पल्ला से पाली, पाला से समेहपुर और यमुनानगर से भाहबाद बनाएंगे। इनकी लागत पर 24 करोड 50 लाख रूपये लगेंगे। इसी प्रकार से 32 करोड रूपये की लागत से हम दो लाख ऐंनर्जी मीटर्ज परचेज करेंगे। इसके अलावा 24 ऐंगजिस्टिंग 33 के0वी0 सब स्टे इंज 9 करोड 56 लाख रूपये की लागत से आगमेंटे इन करेंगे। 80% of these works would be completed before march, 1999 and the remaining works would be completed by December, 1999. यह सब हमारा 240 करोड रूपये में आगए। इसके अलावा जो हमको एक हजार करोड रूपये का और लोन वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, उसके बारे में वर्ल्ड बैंक वाले सारी चीजों को यहां पर आकर देख गए हैं और हमारे साथ डिसकस कर गए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस लोन में हम जो काम करेंगे वह यह है इम्पूवमेंट आफ लोकली डिस्ट्रीब्यू इन सिस्टम के लिए हम 15500 किलोमीटर लम्बी डिस्ट्रीब्यू इन लाईन बिछाएंगे जिसकी लागत 290 करोड रूपये आएगी। जिन लाईनों से पावर हम कंज्यूमर एंड तक पहुंचाएंगे, उनके लिए हम 12 हजार नये ट्रांसफार्मर्ज खरीदेंगे जिनकी कीमत 120 करोड रूपये होगी। इसके अलावा हम 3.77 हजार नये मीटर्ज खरीदेंगे इनकी कीमत चालीस करोड रूपये होगी। इसी तरह से हम पांच एल0टी0 कैपीसिटेटर्ज पावर की वोल्टेज को इम्पूव करने के लिए पांच करोड रूपये की लागत से

खरीदेंगे। इसके अलावा डिमांड साईड की मैनेजमेंट पर भी काम किया जाएगा जिसकी लागत 47 करोड़ रुपये आएगी और जो ऐगजिस्टिंग सब स्टे इंज हैं उनका भी आगमेंटे इन किया जाएगा। जिसकी लागत 320 करोड़ रुपये आएगी। इसी तरह से हम 220 के0वी0 के चार नये सब स्टे इंज बनाएंगे जो कि यमुनानगर, टेपला, चीका और महेन्द्रगढ में होंगे। इसी तरह से 220 के0वी0 के हम पांच सब स्टे इंज का आगमेंटे इन करेंगे जो कि पेहवा, सोनीपत, पानीपत, निसिंग और पंचकूला में होंगे।

132 के0वी0 के ग्यारह नये सब स्टे इंज कुंडली, सकूझाना, बाडला, कंथली, जस्मान, मुरथल, हरसाना कलां, जलमाना, तो गाम, भिवानी और लोहारू में बनाएंगे। 132 के0वी0 की 3 की आगमेंटे इन होगी जिनमें गोहाना, इस्माइलाबाद और उकलाना शामिल हैं। 66 के0वी0 के छह सब स्टे इन, कालका मंसा देवी, सैक्टर 9 गुडगांव, सैक्टर 55-56 गुडगांव, सैक्टर 45 गुडगांव और लोहारू में बनाएंगे। 33 के0वी0 के 35 सब स्टे इंज बनाएंगे और 33 के0वी0 के सब स्टे इन जो आगमेंटे करेंगे वह 36 होंगे। कुछ साथियों ने ऐतराज किया था कि 500 करोड़ के लोन का क्या करेंगे तो मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक इन चीजों की गारन्टी करता है और किस किस स्टेज पर करता है वह बता देता हूं। जब हम टैंडर मांगते हैं तो उसकी फार्मुले इन की स्पेसिफिके इन वर्ल्ड बैंक को भेजते हैं Tenders are cleared by the Bank before, issue. टैंडर मांगने से पहले हम उसको क्लीयर

कराते हैं और जब टैंडर आ जाते हैं, हम उनको ऐगजामिन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये ठीक हैं कि नहीं। अगर ठीक होते हैं, तब वर्ल्ड बैंक को भेजते हैं। जब वर्ल्ड बैंक उनकी मंजूरी देता है तब काम अलौट होता है। The World Bank also sends supervision mission to ensure that whether the material has actually arrived whether the material is of good quality and material has actually installed. इसके बारे में वर्ल्ड बैंक वाले अपनी पूरी तसल्ली करते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां यह भी कहा गया कि बिजली के रेट 8 बार बढ़ा दिये। स्पीकर सर, बिजली के रेट बढ़ाए जाने का फार्मूला यह है कि Ingredients of the general tariff include the cost of purchase, establishment costs, depreciation, interest, repayment to Govt. Operation and maintenance, charges of thermal plant and cost of fuel, increase in cost of oil and freight. The fuel costs are raised by Govt. of India. अध्यक्ष महोदय, जो बिजली के टैरिफ चौधरी भजन लाल ने 14.9.1982 को 15 परसेंट बढ़ाए, 15.9.1983 को 35 परसेंट सिर्फ इंडस्ट्री पर 1.4.1984 को 45 परसेंट इंडस्ट्री पर , 1.5.1985 को 30 परसेंट जनरल बढ़ाए। During this period the fuel surcharge was increased five times. 1.10.1982 को चौधरी भजन लाल मुख्य मंत्री थे तब 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, 1.4.1983 को 11 पैसे, 1.10.1982 को 12 पैसे, 1.4.1984 को 16 पैसे और 1.10.1984 को 17 पैसे इस प्रकार पांच बार बढ़े। उसके बाद लोकदल की सरकार आई और चौधरी देवी

लाल मुख्य मंत्री बने तो तीन बार बिजली के रेट बढे। 1.12.1987 को ऐक्सैप्ट डौमैस्टिक 25 परसेंट बढाए, 1.9.1988 को 45 परसेंट सब पर, 1.12.1990 को 25 परसेंट और ड्यूरिंग दिस पीरियड आठ बार फ्यूल सरचार्ज बढे। एक बार 1.12.1987 को 16 पैसे, 1.4.1988 को 21 पैसे, 1.10.1988 को 22 पैसे, 1.4.1989 को 28 पैसे, 1.10.1989 को 33 पैसे, 1.4.1990 को 36 पैसे, 1.10.1990 को 38 पैसे और 15.10.1990 को 42 पैसे बढाए। जब चौधरी भजन लाल का सैकिण्ड टन्योर आया तो बिजली बोर्ड का टैरिफ 5.6.1992 को 25 प्रति ात, 1.2.1994 को 25 प्रति ात, 28.12.1994 को 25 प्रति ात बढा और उस दौरान फ्यूल सरचार्ज ग्यारह बार बढा जो कि इस प्रकार है— 16.6.1992 को 61 पैसे, 17.2.1993 को 66 पैसे, 1.4.1993 को 72 पैसे, 18.6.1994 को 74 पैसे, 29.1.1994 को 75 पैसे, 1.4.1994 को 81 पैसे, 16.6.1994 को 83 पैसे, 11.10.1994 को 85 पैसे, 1.4.1995 को 5 पैसे, 29.12.1995 को 10 पैसे, 1.4.1996 को 18 पैसे। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने बिजली का जो टैरिफ बढाया है वह इस प्रकार है— 1.7.1996 को 20 प्रति ात, 15.6.1998 को 15 प्रति ात तथा सात बार फ्यूल सरचार्ज बढाया है। जो कि इस प्रकार है— 1.7.1996 को 8 पैसे, 19.8.1996 को 13 पैसे, 12.9.1996 को 19 पैसे, 20.12.1997 को 22 पैसे, 6.5.1997 को 35 पैसे, 18.9.1997 को 38 पैसे और 20.11.1997 को 41 पैसे। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने एक बात इस सदन में कही है कि वर्तमान सरकार दिसम्बर तक बिजली का रेट छः रूपये प्रति यूनिट कर देगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे इस

सदन में नहीं आयेंगे। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि आज भी ये इस बात को अक्सैप्ट करते हैं ? (विधन)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात कही है कि जो वर्ल्ड बैंक के लिये 2400 करोड़ रूपया लिया है उसकी जब दूसरी किस्त एक हजार करोड़ रूपये की यह वर्तमान सरकार दिसम्बर के आसपास लेगी तो वर्ल्ड बैंक की यह भात है कि इस सरकार को बिजली का टैरिफ 30 प्रति ात बढ़ाना पडेगा क्योंकि पहली किस्त 240 करोड़ रूपयें की इस भात पर रिलीजी की गई है जब इस सरकारने 15 प्रति ात टैरिफ को बढ़ाया है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने यह बात इस सदन में कही है कि अगर दिसम्बर तक बिजली का टैरिफ 6 रूपये प्रति यूनिट नहीं हुआ तो ये इस सदन में नहीं आयेंगे। क्या ये अपनी इस बात पर कायम हैं ? मैं तो इनसे सिर्फ इतनी बात ही पूछना चाह रहा था ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि वर्ल्ड बैंक से दिसम्बर में जब अगली लोन की किस्त हरियाणा बिजली बोर्ड को दी जायेगी तो वह इसी भात पर दी जायेगी कि बिजली का टैरिफ 30 प्रति ात बाया जाये, नहीं तो अगली किस्त रिलीज नहीं की जायेगी।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को आ वासन देता हूँ कि दिसम्बर तक हम बिजली का टैरिफ

एक पैसा भी नहीं बढ़ायेंगे ? मैं एक बात और इस सदन को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा बिजली बोर्ड पर वर्ल्ड बैंक की 30 प्रतिशत टैरिफ बढ़ाने की कोई भी भाव नहीं है। अब चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी यह फैसला करें कि अगर दिसम्बर तक बिजली की दरें 6 रुपये प्रति यूनिट नहीं हुईं तो क्या ये सदन में नहीं आयेंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि जब भी इनकी दूसरी या तीसरी किस्त फाईनल होगी जो कि 2400 करोड़ रुपये की वर्ल्ड बैंक ने देनी है उस समय इनको टैरिफ को बढ़ाना ही पड़ेगा। इस सरकार ने 2400 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के लिए, 1400 करोड़ रुपये रोडज के लिए और 1805 करोड़ रुपये नहरों के लिए तीन लोन लिये हैं और राम बिलास भार्मा जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पोखरण में परमाणु बम विस्फोट करने से देश की भावना बढी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि विस्फोट करने के बाद यू0एस0ए0 और जापान ने इन तीन बड़े लोनज को कंडीशन के आधार पर सैकंडान किया है या नहीं। दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सरकार इन तीन बड़े लोनज के बारे में हरियाणा की दो करोड़ जनता को व्हाइट पेपर जारी करके स्पष्ट करेगी ताकि हरियाणा की जनता को इस बारे में पता लगे ?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राम बिलास जी ने परमाणु बम विस्फोट के बारे में कहा। मैं समझता हूँ कि परमाणु बम विस्फोट के बारे में अकेले

राम बिलास जी ने नहीं पूरे दे । की 99 करोड जनता ने कहा है । मैं समझता हूं कि इससे चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी को भी गर्व है कि हमारा दे । ताकतवर बना है । 11 और 13 तारीख को जो परमाणु बम के धमाके पोखरण में हुए हैं, उससे तो अमरीका जो सारे संसार में अपनी दादागिरी करता है, वह भी हिल गया । जहां तक सैंक इंज की बात है कि उनसे कितना फर्क पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूं कि आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, यह तो बाद की बात है लेकिन हमारे ऊपर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं है । हमें 2400 करोड रूपये का लोन ज्यों को त्यों प्राप्त होगा । उस में कोई बाधा नहीं है ।

श्री ओम प्रका । चौटाला: अध्यक्ष महोदय, सरकार का वर्ल्ड बैंक के साथ जो एग्रीमेंट था, वह चिटठी पिछले सत्र में मैंने पढकर सुनाई थी तथा वह चिटठी आपको दी भी थी । उसमें लिखा था कि पहले जो लोन लिया जाएगा उस पर 15 प्रति सत टैरिफ पड़ेगा तथा वह टैरिफ सरकार पर पडना था । फिर आपने वर्ल्ड बैंक से दोबारा लोन की परमि सन लेकर इस टैरिफ को बढ़ाया । चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी का अंदे स बिल्कुल सही है कि उस एग्रीमेंट में यह लिखा है कि दूसरा जो लोन लिया जाएगा, उस पर आप को 30 प्रति सत टैरिफ देना पड़ेगा अन्यथा वे आपको लोन नहीं देंगे । अब आप लोन कब लेंगे यह बात अलग है लेकिन आप यह बताएं कि यह एग्रीमेंट हुआ है या नहीं ?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, हमारा ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने रियलाईजेशन ठीक कर ली है इसलिए रेट बढ़ाने की कोई बात ही नहीं है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी सदन में वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कह रहे थे, उस समय बदकिस्मती से मैं सदन में उपस्थित नहीं था। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादाती की है क्योंकि यहां सदन में बोलने से पहले मैं इनको किसी और काम से असेंबली के आफिस में ले गया था उस वक्त ये मुझसे कह रहे थे कि खूब लोन लो और हर चीज के लिए लोन लेकर काम करते जाओ। मैंने उन को कहा कि मैं तो सिर्फ उस लोन की क्लियरेंस महकमें को देता हूँ कि जिसकी मुझे तसल्ली हो जाए कि यह आसानी से हमें रूपये वापिस कर देगा। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी ने यह भी कहा कि आप तो लोन लेते जाओ, इनको आकर के तो हम ने ही देना है। (हंसी) अध्यक्ष महोदय, यह कुर्सी सिर्फ मेरी ही नहीं है। इस पर आज कोई है, कल कोई था और भविष्य में न जाने कौन होगा। लेकिन कोई न कोई तो इस कुर्सी पर बैठेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वाएंट आफ आर्डर। मैं मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि यह बात मैंने उनको अपने भाषण के बाद कही है। (विघ्न) मैंने उस वक्त मुख्य मंत्री जी को यह बात भी कही थी कि कम से कम लोगों को यह तो बता दें कि सरकार यह जो लोन ले रही है, वह किन

टर्मज एंड कंडी ांज पर ले रही है। सरकार को व हमें तो मालूम है लेकिन लोगों को भी इस बारे में मालूम होना चाहिए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम लोगों को बता रहे हैं और आगे भी बता देंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे साथ बडी ज्यादाती की है कि पहले तो कहा कि लोन ले लो और फिर आधे घंटे या 15 मिनट के बाद कहा कि लोन क्यों ले रहे हो। इन्होंने मुझे गलत गाईड क्यों किया ? (विघ्न)

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, चिमन भाई पटेल 3 साल गुजरात के मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने 3 साल के अंदर 30 करोड रूपये की गुजरात में इन्वैस्टमेंट की। परिणामस्वरूप गुजरात आज सबसे सम्पन्न राज्य है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये ज्यादा कर्ज लेने के हक में हैं अथवा नहीं ?

श्री बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, हां, मैं इस हक में हूं।

श्री बलवीर सिंह (मेहम): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जैसे नए मैम्बर को बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवादा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने ऐसा किया यह आपका बडप्पन है। अध्यक्ष महोदय, यह जो बजट वित्त मंत्री जी ने पे ा किया है मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। यह बजट किसानों, व्यापारियों और िाक्षा के हित में नहीं है। इसमें किसी भी वर्ग के लिए कोई रियायत नहीं दी गई

है। इस बजट से तो आम लोगों को भी कोई रियायत नहीं मिली है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह भी आपके माध्यम से मंत्री जी को कहा था कि लाखन माजरा ड्रेन अधूरी पडी हुई है। हमारे रोहतक जिले में ग्रिवेंसिज कमेटी के चेयरमैन भाई कर्ण सिंह दलाल हैं। वहां पर भी इस बारे में जिक्र होता है। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मंत्री जी ने कहा कि विपक्ष के भाई उस ड्रेन को नहीं खुदवाने देते हैं। यह इल्जाम इन्होंने सीधा हमारे ऊपर लगाया था। अध्यक्ष महोदय, जब कृषि मंत्री जी रोहतक में ग्रिवेंसिज कमेटी की मीटिंग ले रहे थे तो उसमें मैंने इनसे कहा था कि मंत्री जी आप हमें टाईम दे दें यह 4-5 गांवों का मामला है। हम उन गांवों के सभी लोगों को उस समय इकट्ठा कर लेंगे और इस विषय में बैठकर बातचीत करे लेंगे। लेकिन मंत्री जी ने हमें टाईम नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, बी०जे०पी० का एक पी०के० चौधरी है उसने उस ड्रेन के काम को रूकवा रखा है। वह उससे राजनैतिक फायदा उठाना चाहता था। यह जो लाखन माजरा ड्रेन है उसमें पानी की खाले यूं की यूं ही पडी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो साईफन और पुलिया बनानी थी वह नहीं बना रहे हैं। उनके न बनने से बहुत ही (कठिनाईयों) का सामना वहां के लोगों को करना पड रहा है। अगर जमींदारों के खेतों में पानी नहीं जाएगा और वे अपने खेतों तक नहीं पहुंच पाएंगे तो इससे उनको और ज्यादा कठिनाई हो सकती है। मंत्री जी उस ड्रेन को बनवाने का कश्ट करें। हमारे मेहम हल्के में चार गांव निदाणा, भेनी चन्द्रपाल, गिरावड, मोखरा खेडी में अभी तक भी चकबंदी नहीं हुई

है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इन गांवों में चकबंदी करवाए। इनमें से कुछ गांवों में तो आधे गांव में चकबंदी हो रही है और आधे में नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी भी दो साल पहले कहा करते थे कि हर एक टेल पर पानी पहुंचाएंगे परन्तु हमारे हल्के में तकरीबन 6-7 टेलज ऐसी हैं जहां पर अभी तक भी पानी नहीं पहुंच पाया है। अध्यक्ष महोदय, एक नहर तो आपके हल्के की तरफ ही जा रही है उसमें हमारे हल्के में कोई मोगा नहीं है। वैसे दो या तीन नहरों में तो आपकी सरकार बनने के बाद पानी आया है लेकिन तीन चार नहरों की टेलज पर बिल्कुल पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, एक बरसोला माईनर है उसकी टेल पर तो लाठर साहब की मेहरबानी की वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है। जब ये चेयरमैन थे तब भी वहां पानी नहीं आने देते थे और अब मंत्री हैं तब भी ये पानी नहीं आने देते हैं। सारे अधिकारी यानी एस०डी०ओ०, जे०ई०, एस०ई० या दूसरे बड़े अधिकारी इनकी ही बात मानते हैं। जो नहरों के मौंगे हैं उनमें भी पानी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की जनता ने हम 90 आदमियों को यहां पर चुनकर भेजा है और इससे बड़ी हरियाणा की कोई पंचायत भी नहीं है। इन 90 आदमियों में से मैं भी हूँ। यहां पर अगर कोई जायज बात भी कही जाए तो उसको भी यहां पर पक्षपात की बात कहते हैं। सरकार चाहे कोई काम करें या न करें लेकिन हमें उसके खिलाफ ही बोला जाता है। यह बहुत ही भार्म की बात है। जो लोग यहां पर हमको देख रहे हैं वह क्या सोचते होंगे। इसी तरह

से बडे बडे अधिकारी भी हमारे बारे में क्या सोचते होंगे कि जो ये लोग चुनकर आए हैं वे कितने बडे आदमी हैं, मंत्री हैं लेकिन ये आपस में ही कैसी कैसी बातें करते हैं। मेरे से यहां पर सभी बुजुर्ग हैं इसलिए मेरी सभी से प्रार्थना है कि कम से कम हम सभी को तरीके से बातें करनी चाहिए। यहां पर बहुत ही गलत भाब्द बोले जाते हैं। इसको देखकर यहां पर देखने वाले नौजवान साथी क्या महसूस करते होंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की भी कोई कमी हो सकती है, मंत्री की भी कोई कमी हो सकती है और अधिकारी की भी कोई कमी हो सकती है। लेकिन हम उन कमियों की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम तो आपस में ही बहस में लगे रहते हैं जबकि हमें उन कमियों की गहराई तक पहुंचना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पी0डब्ल्यू0डी0 मिनिस्टर यहां बैठे हुए नहीं हैं। लेकिन मेरे पास पी0डब्ल्यू0डी0 से संबंधित दो डाकुमेंस हैं। मंत्री जी हमें बता दें कि उनमें इनका भी हिस्सा है या नहीं ?

17.00 बजे।

अध्यक्ष महोदय, यह एक परम्परा पड रही है कि जे0ई0,एस0डी0ओ0, ऐक्सीयन, एस0ई0 और चीफ इंजीनियर और एक आध मिनिस्टर का भी नाम आया है सभी का नाम तो आया नहीं है। चाहे कोई भी काम हो, किसी भी महकमे का काम हो उसमें यह देखा गया है कि जे0ई0,एस0डी0ओ0, ऐक्सीयन, एस0ई0 और चीफ इंजीनियर 15-16 परसेंट तक पैसा ठेकेदार से लेना अपना हक समझते हैं यदि 15-16 परसेंट पैसा ठेकेदार से

अधिकारी ले लें तो ठेकेदार भी अपने बच्चों को रोटी खिलाने की सोचेगा तो आप सोचें कि क्या कोई ठेकेदार किसी काम को ठीक करेगा ? इस प्रकार से यह सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसमें कोई भी काम अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर ठेकेदारों से इस तरह से परसेंटेज ली जाएगी तो वे सब स्टैंडर्ड मैटीरियल लगाएंगे जिसके कारण बिल्डिंग, माइनर, पुली या खाल जिसकी समय सीमा या आयु 20 साल आप लगा लें तो वह 3-4 साल में ही कंडम हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल जी इलैक्ट्रिकल से पहले कहा करते थे कि मैं बड़ा स्ट्रॉंग आदमी हूँ और किसी भी अधिकारी को कोई पैसा नहीं लेने दूंगा लेकिन इसमें चीफ इंजीनियर, इंजिनियर इन चीफ पी0डब्ल्यू0डी0 वी एण्ड आर0 एस0ई0 ऐक्सीयन एस0डी0ओ0 सभी शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष: यह जो बलवीर सिंह जी ने नाम और डैजिग्ने इन बोले हैं इनमें से नाम रिकार्ड न किये जाएं।

श्री बलवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अम्बाला जगाधरी रोड पर एन0जी0 प्लांट के नाम से एक फैक्ट्री लगी हुई है उसमें का हिस्सा है यह बजरी ओर तारकोल का प्लांट है उसमें 6 करोड का काम दिया तो एस0ई0 ने कहा कि 30 परसेंट मैं लूंगा और 30 परसेंट ठेकेदार ने ओट लिया। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में ठेकेदार के बयान और ऐफीडेविट मेरे पास है।

गृह मंत्री (श्री मनी राम गोदारा): अध्यक्ष महोदय, जो आनरेबल मैम्बर बोल रहे हैं उससे ऐसा जाहिर होता है कि किसी आदमी को इनको पोस्ट किया है और इनको बेचारे को तो पता नहीं कि हाउस के अंदर किसी पर इस तरह से इल्जाम नहीं लगाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है और मैम्बर भी बोलते हैं लेकिन डिपार्टमेंट के बारे में कहते हैं, सिस्टम के बारे में कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं परसेंटेज बताकर कहते हैं आंकड़ें देकर कहते हैं लेकिन यह गली में मदारी की तरह खडे होकर बताना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बलबीर सिंह जी ने जो नाम लिया है वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री श्री मनीराम गोदारा जी हमारे बुजुर्ग हैं हमारे बाप के समान हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी का सिखाया हुआ यह बस बातें नहीं बोल रहा हूँ। सवा लाख लोगों ने चुनकर मुझे इस सदन में भेजा है। जो बात सच है उसके लिए मैं एफीडेविट दे रहा हूँ। मैं लोगों के हक की बात और जनता की भलाई की बात कह रहा हूँ। जो सडकें या पुल तीन साल में नहीं टूटनी चाहिये वे छः महीने में टूट जाती हैं। यह रिकार्ड मेरे पास हैं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। (घण्टी)

Mr. Speaker: Please take your seat. (Noise & Interruptions).

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, 19.6.98 को मुख्य मंत्री जी के पास एक फ़ैक्स आया उसमें यह बताया गया था कि इस जगह पर गडबड हो रही है परन्तु उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, एक इंकवायरी हुई थी उसमें एक्सीयन श्री एस0के0 सिंगल (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हल्के की बात कहूंगा। मैं एफीडैविट दे रहा हूं। (विघ्न)

गृह मंत्री (श्री मनीराम गोदारा): अध्यक्ष महोदय, अगर एफीडैविट देना है तो डिपार्टमेंट को देना चाहिये। ऐसे हाउस में किसी आदमी की पगडी उछालना अच्छी बात नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बलबीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की अपने बाप की तरह इज्जत करता हूं परन्तु मंत्री जी ऐसे मुझे धमकायें नहीं, अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में बल्मभा गांव में चार पांच साल पहले से ही पी0एच0सी0 की बिल्डिंग तैयार है। मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं मेरी उनसे रिकवैस्ट हे कि उस पी0एच0सी0 को चालू किया जाये। दूसरी बात भैराभेणी गांव में स्कूल की बिल्डिंग गांव वालों ने बनाकर तैयार कर दी हैं मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस स्कूल को अपग्रेड किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि अगर मुझे से कोई गलत भाब्द निकल गये हों तो मैं उनके लिए

माफी चाहूंगा। धन्यवाद, आपने मुझे जो बोलने के लिए समय दिया।

श्री सतपाल सांगवान (दादरी): स्पीकर सर, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पे 1 किया है वह बडा ही सराहनीय बजट है क्योंकि इस बजट में कोई नये टैक्स नहीं लगाये गये हैं। यह हरियाणा के किसानों का भलाई के लिए और हर आदमी के लिए भलाई का बजट पे 1 किया गया है। स्पीकर सर, अपोजी इन के साथी प्रदे 1 में लॉ एण्ड आर्डर की बात करते हैं कि आज प्रदे 1 में लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत खराब है। लीडर ऑफ अपोजी इन ने कहा कि चुनाव में जनता ने सरकार को धूल चटा दी। स्पीकर सर, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के चुनाव और असैम्बली के चुनाव हुये तो धूल किस पार्टी ने चटाई क्योंकि जहां भी लीडर ऑफ दि अपोजी इन के पैरों के नि गान पडे वहीं पर भिवानी और रोहतक में इनका उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इनके उम्मीदवार का बंटाधार हो गया। अब आप ही देख सकते हैं कि धूल किसने किसको चटाई है। सम्पत सिंह जी किस्मत वाले हैं कि फतेहाबाद की सीट को निकाल लाये क्योंकि वहां पर लीडर ऑफ दि अपोजी इन को जाने का समय ही नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, मेरे विरोधी पक्ष के भाई कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। चौधरी बंसी लाल जी के राज में पार्लियामेंट के चुनाव हुए, ये यह बता दें कि क्या उन चुनावों पर

कोई गलत हरकत हुई थी। लेकिन इनके राज में तीन बार चुनाव हुए और उन चुनावों में जो कुछ हुआ वह सभी को मालूम है। इसके बावजूद भी ये कानून और व्यवस्था की बात करते हैं। चौधरी बंसी लाल के समय में हुए चुनावों में एक चींटी की भी आवाज नहीं आने पाई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 1987 के चुनावों में भिवानी में कुछ स्थानों पर रिपोलिंग हुई थी। अध्यक्ष महोदय, 1987 के चुनावों में ही वास्तव में कानून और व्यवस्था की समस्या हो गई थी। उस समय बदमाशों ने वहाँ वोटों को जलाया था। आज ये कहते हैं कि प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब है। उस समय मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम था। इन्होंने हमारे जितने भी आदमी थे, जितने भी हमारे वर्कर थे, उनको थानों में बंद करवा दिया था। आज ये कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर खराब है। इन्होंने वहाँ पर जाली वोटस भी डलवाए। आज ये प्रजातंत्र का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। उस वक्त के चुनावों में मेरा लडका काउंटी एजेंट था। इन्होंने उस पर झूठा केस बनवाया। श्री ओम प्रकाश चौटाला का एक वर्कर है, कहते हैं कि उसने मेरे लडके के खिलाफ एफिडेविट दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी संपत सिंह जी को कहना चाहता हूँ क्योंकि ये एक सफल लीडर माने जाते हैं, ये बाकायदा इन्क्वायरी करा लें और अगर मेरे लडके का कानून और व्यवस्था बिगाड़ने में जरा सा भी हाथ पाया गया तो मैं हाउस से इस्तीफा दे दूंगा। हम झूठ के आधार पर कोई राजनीति नहीं करते हैं। मैं

पूछता हूं कि कौन कानून और व्यवस्था को बिगाडता है ? चौधरी बंसी लाल की सरकार किसी को नाजायज तंग नहीं करती है। यह बिल्कुल भांतिप्रिय सरकार है। मैं इनको खुले तौर पर चैलेंज करता हूं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति हरियाणा में खराब है लेकिन आपको भायद पता नहीं होगा कि इन्होंने 1989 में भिवानी में क्या किया था ? उस समय वहां पर किसने खराब किया कानून और व्यवस्था की स्थिति को ? किस ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई ? किस ने लोगों को गलत आदतें सिखाई ? अध्यक्ष महोदय, आप खुद भिवानी जिले के रहने वाले हैं। इसलिए आप इनके कारनामों को जानते हैं। इनकी सरकार के समय में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती थी। इनके समय में एक आई0जी0 जो बेचारा भगवान को पसंद आ गया, वह अब हमारे बीच में नहीं है, को चंडीगढ से वहां पर भेजा गया था और उससे वहां पर गोलियां चलवाई गईं। मैं कहता हूं कि अगर कोई अच्छी बात करता है या अच्छा काम करता है तो क्या उसको अच्छा कहते हुए भार्म आती है ? हरियाणा की समस्त जनता जानती है कि चौधरी बंसी लाल जी एक ऐसे महान नेता हैं जो सुबह से लेकर भाम तक हरियाणा प्रदे 1 की जनता की भलाई की बात ही सोचते हैं। उन्होंने बिजली के सुधार के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। हम पॉवर जनरे 1न का अलगा सिस्टम, डिस्ट्रीब्यू 1न का अलग सिस्टम और ट्रांसमि 1न का अलग सिस्टम इंट्रोडयूस करने जा रहे हैं। लेकिन इन को इस बारे में पता ही नहीं है। कल एक महा 1य न्यूकलीयर बम्ब की

बात कर रहे थे। न्यूक्लीयर बॉम्ब के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ, भला वे कैसे जानते होंगे ? अध्यक्ष महोदय, चौधरी बंसी लाल का यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है कि जब हरियाणा की जनता को किसानों को व कारखानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी तब प्रदेश खुलाहाल होगा। लेकिन ये किसी का भला नहीं चाहते हैं। इन्होंने तो हर जगह अपनी टांग अडानी है। चौधरी बंसी लाल जी बिजली के सुधारीकरण के लिए प्रयासरत हैं और जब पुराने जनरेटर सिस्टम को बदला जाएगा तो प्रदेश को 1263 मैगावाट बिजली फालतू प्राप्त होगी। यह हरियाणा का सौभाग्य होगा। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में ट्रांसमिशन नहीं किया जाएगा तब तक बिजली में सुधार नहीं हो सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आप इन विरोधी पक्ष के भाईयों से पूछें कि क्या इन्होंने अपने समय में कोई ट्रांसमिशन लाईन खींची हो तो ये बता दें। चौधरी बंसी लाल की सरकार द्वारा बंसी लाल जी के अच्छे काम करने इनको पसन्द नहीं आए। बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। लोन भी साहुकार आदमी को मिलता है, बेईमान आदमी को लोन नहीं मिलता। इस लोन का प्रयोग जनता की भलाई के लिए ही होगा न कि लोगों की प्रापर्टी बढ़ाने के लिए। आपने अपने समय में अरबों की जो जो प्रापर्टी बना रखी है वह मेरे पास इस कागज में लिखी हुई है। सदन में बैठा हुआ कोई भी सदस्य या अपोजीशन का भाई यह देख सकता है। बिजली के डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम और

जनरे 1ान सिस्टम नार्मल हो जाने से लोगों को 24 घंटें बिजली मिलेगी और किसान फले फूलेगा। अपोजी 1ान वाले कहते हं कि इरीगे 1ान में कुछ नहीं हुआ। इनके समय में इरीगे 1ान के बारे में हमें पता है हमारी क्या हालत थी, उस समय हमें पीने का पानी नहीं मिलता था। तालाब खाली पडे रहते थे। लोहारू वाटर लिपट इरीगे 1ान सिस्टम में इन्होंने कभी कोई पम्प हाउस की मरम्मत नहीं करवाई। अगर वे पम्प ठीक होते तो मेरे एरिया में 1995 का फलड नहीं आता। इस सरकार के आने के बाद वह पम्प हाउस ठीक हुए हैं जिसके कारण हमारे एरिया के लोगों को 20 साल के बाद खु 1ी मिली है। लोहारू पूरे हरियाणा का सबसे पिछडा हुआ एरिया माना जाता है वहां के लोगों को अब इस सरकार के आने के बाद पीने का पानी मिल रहा है। 1986-87 में बंसीलाल ने जो नई नहरें/नए माइनर्ज बनाने का काम भुरु किया था उसके बाद पिछली सरकारों ने अपने समय में उन माइनर्ज पर जो सडकें गुजरती हैं उन पर पुल नहीं बनवाए। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के आने के बाद उन नहरों पर पुल बनाए गए हैं आज ये किसानों के मसीहा बनते हैं। इस समय नहरें बनाने के लिए जो लैण्ड एक्वायर हुई थी, उसका किसानों के इन्होंने अपने समय में कोई कम्पनसै 1ान नहीं दिया। इस सरकार के आने के बाद अब किसानों को इन्होंने अपने समय में कोई कम्पनसै 1ान मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पब्लिक हैल्थ की बात है इस बारे में हमारा लोहारू एरिया सबसे इफैक्टिड एरिया है। अध्यक्ष महोदय, 1977 के चुनावों में हमने उस समय की पार्टी को 6 सीटें दी थी

और 1987 के चुनावों में उस समय की सरकार को हमने भिवानी की 7 सीटें दी थी। लेकिन पिछली सरकार ने सोचा कि भिवानी तो पाकिस्तान है इसलिए वहां पर पानी देने की क्या जरूरत है। मेरी कंस्टीच्युएंसी, सोमवीर और नरपेन्द्र सिंह की कंस्टीच्युएंसी पानी के मामले में सबसे बैड इफैक्टिड थी। अब मैं घमण्ड के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद अब वहां पर पानी की कोई कम्प्लेंट नहीं है, इससे ज्यादा हमारी सरकार और क्या कर सकती है। मेरे एरिया लोहारू में जो वाटर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है उसके साथ सीपेज की समस्या है। आज मुख्यमंत्री ने बताया कि उसके लिए 30 करोड़ रुपये की कोई स्कीम तैयार हो गई है इसके लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। वह हमारी कंस्टीच्युएंसी की सबसे बड़ी समस्या थी, अब इसका समाधान हो जाएगा। मेरी कंस्टीच्युएंसी दादरी जो स्पीकर साहब, आपकी भी तहसील है और नरपेन्द्र सिंह जी की भी तहसील है वहां की भारी प्रोब्लम यह है कि वहां पर कोई मिनी सैक्रेटेरियट नहीं है। इस समय तहसील का कार्यालय एक बहुत पुरानी बिल्डिंग में है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूंगा क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग महाराजा जींद के टाईम की बनी हुई है वह कोलैप्स हो गई है। और पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने उस बिल्डिंग को अनसेफ डिकलेयर कर दिया है उसके बारे में कुछ ध्यान दें। जहां तक हैल्थ की बात है मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दादरी में जो होस्पिटल है वह जहाज के हादसे के कारण तबाह हो गया था इसलिए उस होस्पिटल के बारे में दादरी

की सारी जनता कहने लग गई कि इस होस्पिटल को दादरी से बाहर स्थापित किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। दादरी में जो उधम सिंह जैन होस्पिटल है उसको सरकार ने टेक ओवर तो कर लिया है लेकिन वह होस्पिटल चार पांच साल बंद रहने के कारण उसकी मेंटीनैस करना जरूरी है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार उस होस्पिटल की मेंटीनैस जरूर कराए। अंदर वाला होस्पिटल छोटे छोटे बच्चों के लिए कंटीन्यू रहे तो अच्छा है। स्पीकर साहब, हमारे अपोजी इन के माननीय सदस्य गवर्नमेंट एम्पलाइज के बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्पलाई रहा हूँ। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट रहा हूँ। मैंने 10 साल तक आल इंडिया ट्रेड यूनियन को रीप्रेजेंट किया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि 1987 में फोर्थ पे कमी इन चौधरी बंसी लाल जी ने दिया था। स्पीकर साहब, 1987 के बाद दो सरकारें रही वह दोनों सरकारें एम्पलाइज को छोटी छोटी 13 पे अनोमलीज दूर नहीं कर सकी आज जो एम्पलाइज एजीटे इन कर रहे हं वे उसी बात को लेकर एजीटे इन कर रहे हैं पिछली दोनों सरकारों ने 10 साल तक एम्पलाई की छोटी छोटी पे अनोमलीज दूर नहीं की। आज ये एम्पलाइज के बारे में बड़ी बड़ी सेखियां मार रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री चौधरी बंसी लाल जी ने यह वायदा किया था कि फिफथ पे कमि इन लागू करूंगा और इन्होंने 1.1.96 से फिफथ पे कमि इन लागू कर दिया। स्पीकर साहब, इन दोनों पार्टियों के महारथियों की सरकारों द्वारा एम्पलाइज की छोटी छोटी पे अनोमलीज दूर न करने के कारण आज एम्पलाइज दुखी

हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मेहरबानी करके वह नोट छापने वाली मीन थोडे दिन के लिए हमें दे दें चूंकि आपको याद होगा जब चौधरी देवी लाल जी 1987 में मुख्यमंत्री बने तो उस समय उन्होंने कहा था कि लोगों आप मुझे वोट दो मैं नोट छापने की मीन आपको दू दूंगा। उस समय मैं राजनीति में नहीं था मैं उनकी यह बात सुना करता था। इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट कर रहा हूँ कि आप वह नोट छापने की मीन थोडे दिन के लिए हमें दे दें तो सभी कर्मचारियों की, किसानों की, व्यापारियों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और कोई नाराज नहीं होगा।

श्री बलवंत सिंह: स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने चौधरी देवी लाल जी का नाम लिया है क्या ये उनका नाम ले सकते हैं क्योंकि वे इस हाउस के सदस्य नहीं हैं। इनको पता होना चाहिए कि नोट छापने की मीन नहीं होती यह तो पालिसी की बात होती है यह सरकार लोगों की भलाई के लिए उनके विकास के लिए कोई पालिसी बनाएं। उन्होंने उस समय लोगों की भलाई के लिए और उनके विकास के लिए अच्छी अच्छी पालिसी बनाई थी।

श्री अध्यक्ष: सांगवान साहब, आप मायना साहब से जाकर पूछना कि वह कौन सी विधि है ?

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, उन्होंने बास गांव में यह कहा था कि लोगों आप मुझे वोट दो नोट छापने की मीन थीन थारै गांव में भी आ ज्यागी। (गोर)

श्री बलवंत सिंह: नोट छापने की मीन नहीं होती जो किसी के घर में भेज दी जाए। उनका मकसद यह था कि पोलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर और एम्पलाइज की वित्तीय स्थिति ठीक हो जाए उनकी हालत ठीक हो जाए। (गोर)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधा घंटे के लिए और बढ़ाया जाता है।

आवाजें: ठीक है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सतपाल सांगवान: स्पीकर साहब, हरियाणा सरकार ने बजट पे किया है, यह बहुत अच्छा बजट है। यह किसानों का बजट है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अपोजी इन के भाईयों से निवेदन करता हूं कि ये सरकार को विरोध करें लेकिन वह कन्स्ट्रैक्टिव ढंग से करें। विपक्ष की तरफ से कन्स्ट्रैक्टिव

विरोध किया जाना चाहिए। स्पीकर साहब, इनको पता है और ये दिल से जानते हैं कि बिजली का सुधार हो रहा है। इसी प्रकार से इरीगे टन और ड्रेनेज के काम में सुधार हो रहा है। इनसे कोई पूछे कि क्या इन्होंने अपने समय में कोई ड्रेन खोदी थी ? क्या आपने अपने समय में बाढ की रोकथाम के लिए कोई काम किया था ? अध्यक्ष महोदय, यह सरकार बधाई की पात्र है जिसने बहुत बढ़िया बजट पे ा किया है। यह आम नागरिकों के लिए, किसानों के लिए व व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। धन्यवाद।

श्री दिलूराम (गुहला): अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी की तरफ से जो बजट पे ा किया है, मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खडा हुआ हूं। इस बजट में कोई ऐसी बात नहीं है जो जमींदारों की, व्यापारियों की, या मजदूरों के हक की कही गयी हो। हमारे भाारेवाला जी ने किसी मजबूरी में वह बजट स्पीच बढी है। ये काफी अच्छे आदमी हैं और हमारे रि तेदार भी है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सै ान में मैंने और सरदार जसविन्द्र सिंह जी ने जो हमारे एरियाज में टयूबवैल्ज हैं उनके लिए स्लैब प्रणाली लागू करने के लिए निवेदन किया था। मुझे खु ि है कि सरकार ने पेहवा में वह स्लैब प्रणाली लागू कर दी। हमारे गुहला में भी सरकार जल्दी से जल्दी से यह प्रणाली लागू कर देगी, यह मुझे इस सरकार पर वि वास है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की सडकों की हालत के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी कुछ दिन हमारे यहां पर ग्रिवेंसिज कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। जब ये आते थे तो उस वक्त भी मैंने इनके सामने इन सडकों की हालत की समस्या रखी थी। मेरे एरिया में सडकों की दुर्द गा है। इन सडकों पर व्हीकल्ज नहीं निकल सकते। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहां पर जो सिविल हस्पताल की तरफ सडक जाती है उस पर 300 फुट लम्बा और तीन फुट गहरा एक गडढा है जिसके कारण उस सडक पर कोई व्हीकल्ज नहीं जाता। उस सडक की हालत खराब होने के कारण कोई आदमी मरीज को चैकअप कराने के लिए उस अस्पताल में नहीं जाता है। हस्पताल खाली पडा है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि और सडकों को चाहे बाद में ठीक करवा दें कम से कम उनको तुरन्त ठीक करवाने के आदे ा जारी कर दें। उस सडक की हालत बहुत ज्यादा खराब होने से सभी परे ान हैं अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि बाढ के दिनों में टांकरी, मारकंडा व दूसरी नदियों का पानी मेरे हल्के से निकलता है। अब से पहले भी मेरे हल्के के 8-9 गांव में बाढ आ गई, जिसके कारण वहां पर लोगों को दुबारा जीरी लगवानी पडी है। आपको भी पता है कि जमींदारों का एक एकड पर जीरी लगाने का खर्चा 1500 रूपये एक बार का आता है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तो यह कह दिया कि हम उन गांवों के किसानों को 600 रूपये प्रति एकड के हिसाब से मुआवजा दे रहे हैं और किसी को 200 रूपये, किसी को 400 रूपये प्रति एकड के

हिसाब से दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार कराईटेरिया बना रखा है कि या 50 प्रति ात या 75 प्रति ात या उससे ज्यादा जिस किसान का नुकसान होगा उसको उसके हिसाब से मुआवजा दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए एक जमींदार के पास 100 एकड जमीन है और उसकी सौ की सौ एकड जमीन की फसल खराब हो गई, तो उसा 100 प्रति ात नुकसान हो जाता है लेकिन उसको फिर भी मुआवजा नहीं मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मेरी इस सरकार से प्रार्थना है कि जो आपने यह कराईटेरिया बना रखा है इसको बदला जाये। सरकार को यह देखना चाहिए कि वास्तव में उस किसान का कितना नुकसान हुआ है, उसी हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गांव के अंदर कई दफा ओला वृष्टि होती है, एक खेत बच जाता है और दूसरी तरफ सारी फसल नष्ट हो जाती है तो उस बारे में ठीक तरह से गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा इस सरकार से प्रार्थना है कि मुआवजा देने के लिए जो कराईटेरिया बनाया हुआ है उसको बदला जाये। अध्यक्ष महोदय, हमें तो पूरी उम्मीद थी कि चौ0 बंसी लाल जी की कथनी और करनी में अंतर कोई नहीं है। ये जो कहते हैं वही करते हैं। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में 12 टेलें हैं। मेरी तो यह बदकिस्मती है कि मेर हल्का बिजली के मामले में भी टेल पर है। हरियाणा प्रदे ा की भी टेल पर है और नहरों की भी टेल पर पडता है, मेरे हल्के की तरफ अगर कोई मुख्यमंत्री ध्यान देगा तो वह किस्मत वाला ही होगा। मेरे

हल्के में कई नहरें ऐसी हैं जो कई गांवों में 10-10 कि०मी० पीछे रह गई हैं। अगर मैं इस बारे में रत्ति भर भी झूठ बोल रहा हूं तो आप वहां पर किसी भी अधिकारी को भेजकर पता करवा लें कि उन टेलों में पानी आता है या नहीं, उन टेलों में बिल्कुल भी पानी नहीं आता। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे हल्के में पानी लैवल 100 फुट नीचे चला गया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई नौजवान लडका अपने ट्यूबवैल को ठीक करने के लिए 100 फुट गहरे कुएं में जाता है तो 100 फुट गहराई में जाने से और 100 फुट गहराई से वापिस आने से उसके दांत पीले हो जाते हैं उसके बाद वह दोबारा कुएं में जाने की हिम्मत नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय मेरे हल्के के लोगों के पास जमीन के नीचे के पानी का ही साधन था और वह पानी भी दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। मेरे हल्के में जब नहरें कच्ची थी तब उनमें पानी आता था लेकिन जबसे उनको पक्का किया गया है तब से उनमें पानी बिल्कुल नहीं आता। उपाध्यक्ष महोदय, एक मारकण्डा डिस्ट्रीब्यूट्री है, मेरे हल्के का उसमें 450 क्यूसिक पानी का हिस्सा है। वह नहर इतनी खराब बनी हुई है कि अगर उसमें 450 क्यूसिक पानी की बजाय 250 क्यूसिक पानी भी छोड़ दिया जाये तो वह नहर सरदार जसविन्द्र जी के इलाके में जाकर टूट जाती है, पता नहीं उसके बनाने में क्या गलती हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, कहां 450 क्यूसिक पानी और कहां 250 क्यूसिक। जब तक उस नहर में 450 क्यूसिक पानी नहीं डाला जायेगा, तब तक मेरे हल्के के लोगों को पानी नहीं मिलेगा। (विघ्न एवं भाोर) उपाध्यक्ष

महोदय, भाटिया माईनर, टूटियाना माईनर और गुहला माईनर 1993 की बाढ में 15-15 कि०मी० दूर तक वह गये। आज तक किसी ने भी उनके ऊपर कोई कार्यवाही भुरू नहीं की है क्योंकि मेरे से पहले जो विधायक था वह अपोजी इन का विधायक था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और अब मैं भी अपोजी इन से हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के लिए तो सारा हरियाणा प्रांत एक जैसा है, सभी को एक आंख से देखना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये कोई सराहनी काम करेंगे तो हम उसको स्वागत करेंगे, इन्होंने भाराब बंदी लागू की, यह एक अच्छा कदम था। भाई कर्ण सिंह दलाल ने यह कहा कि अपोजी इन वालों ने भाराब बंदी का समर्थन नहीं किया, हमने उसका स्वागत किया, समर्थन किया। ग्रीवंसिज कमेटी के अंदर हम यह कहते रहे, उसके साथ साथ मैं यह भी कहता था कि जब तक पब्लिक ओपिनियन नहीं मिलेगी तब तक यह भाराब बंदी कामयाब होने वाली नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को पब्लिक ओपिनियन मिली नहीं, सरकार ने दबाव भी डाला लेकिन यह फेल हो गई और दोबारा से हरियाणा प्रदे में भाराब लागू करनी पडी। यह तो सरकार की मजबूरी है यह तो इनको देखना है। (विघ्न) इसी तरह सर, मेरे इलाके में बिजली बिल्कुल डिम आती है और डिम क्या 24 घंटे में से सिर्फ 5 घंटे लाईट आती है और गर्मी बहुत भयानक पडी है, मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, 10 बजे के बाद तो पता नहीं बिजली कहां चली जाती है। जब अधिकारियों से बात करते हैं तब वे कहते हैं कि आपके किसान टू फेस पर मोटरें चलाते हैं इसलिए

हम पूरी बिजली नहीं दे सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इलाके में त्राहि त्राहि मची हुई है। जब मच्छर काटते हैं, तब गांव के अंदर छोटे छोटे बच्चे बिलखते हैं, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके द्वारा इनसे प्रार्थना है कि अगर पावर नहीं है तो कम से कम लाईट तो दी जाये ताकि जमींदार दिन भर काम करने के बाद रात को चैन की नींद ले सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता लगा है कि 220 के0वी0 का सब स्टे इन मेरे यहां मंजूर हुआ है उसके लिए इस सरकार की बहुत बहुत मेहरबानी। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से 132 के0वी0 का पावर हाउस कारथली और 32 के0वी0 का भागल का सब स्टे इन मंजूर हुआ था। चौधरी भजन लाल जी के समय मैं मेरे हल्के के चकू लादाना गांव में 132 के0वी0 सब स्टे इन की आधार िला रखी गई थी और उस पर काम भी भुरू हुआ था। उसके लिए वहां ईटें और सरिया वगैरा भी पहुंच गया था लेकिन इस सरकार के आते ही बजाय इसके कि उस पर काम भुरू होता वहां पर जो सामान पडा था वह भी उठा लिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा हल्का जीरी पैदा करने वाला हल्का है इसलिए यहां पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मेरे हल्के में नहरों का पानी नहीं मिलता है इसलिए वहां पर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरी गुजारि ा है कि उस सब स्टे इन को बनाने के लिए दोबारा काम भुरू किया जाए। इस मामले को लेकर लोग वहां पर ऐजिटे इन करने वाले थे बडी मुि कल से मैंने उनको रोका था। मैंने उनको आ वासन दिया था कि इसमें इस बात को विधान सभा सै इन

के दौरान हाउस में रखूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं एक और बात कहना चाहूंगा। मेरे पास कुछ आदमी गुहला चीका ब्लॉक समिति की दुकानों के बारे में विज्ञापित लेकर आए। मैंने उस बारे में माननीय मंत्री चौधरी कंवल सिंह जी से भी बात की थी कि ब्लॉक समिति के अंदर 8-10 दुकानें थीं जो किसी अधिकारी और ब्लॉक समिति के चेयरमैन से मिल कर डेढ़ लाख रुपये प्रति दुकान के हिसाब से कुछ लोगों ने ले ली और एक एक दुकान की 25 हजार की पर्ची काटी और बाकी सवा लाख रुपये प्रति दुकान के हिसाब से वह अधिकारी और चेयरमैन पैसा पी गए। अगर दुकानों की बोली करवाई जाए तो 5-5 या 6-6 लाख रुपये की एक एक दुकान बिकेगी। इस मामले को लेकर लोगों में काफी रोशनी है इसलिए माननीय मंत्री जी भी इस ओर ध्यान देने की कृपा करें और इस मामले के बारे में कुछ कार्यवाही करवायें। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मेरे हल्के में सड़कों का बुरा हाल है। फ्लड के दौरान जो सड़कें टूट गई थीं उन पर आज तक कोई भी रोडा तक नहीं लगा है। (विधन)

श्री उपाध्यक्ष: दिलू राम जी, आप तीन मिनट के अन्दर कन्कलूड करें।

श्री दिलू राम: उपाध्यक्ष महोदय, ट्यूबवैल्ज के बारे में मैंने पिछली बार कहा था कि 200-200 फुट की गहराई पर लोगों ने सबमर्सिबल ट्यूबवैल्ज लगाए हैं। जब भी कोई व्यापारी कोई इण्डस्ट्री लगाता है या कोई फैक्टरी खोलता है तो उसको 30

प्रति 1त या 50 प्रति 1त सबसिडी दी जाती है लेकिन किसानों को सबमर्सिबल लगाने के लिए कोई सबसिडी नहीं दी जाती है। सबमर्सिबल ट्यूबवैल लगाने पर डेढ पौने दो लाख रूपये खर्च होते हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इस खर्चे में किसान को कुछ न कुछ सबसिडी दी जानी चाहिए तथा जो किसान जैनरेटर सैट लेकर आते हैं उन्हें भी सबसिडी दी जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं मिनी बैंक सोसायटीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मिनी बैंक सोसाईटीज द्वारा जो खाद और दवाईयां किसानों को दी जाती हैं वे बहुत ही घटिया क्वालिटी की और सब स्टैंडर्ड होती हैं। वे समितियां घटिया दवाइयों और घटिया खाद लेने के लिए किसानों को मजबूर करती हैं क्योंकि किसानों ने इसे कर्जा लेना होता है इसलिए मजबूरी में वे इनसे ये चीजें लेते हैं। जो खाद बाजार में मिलती है वह एकदम फ्रै 1 होता है और पोलीथीन के कटटों में मिलता है जबकि इन समितियों से जो खाद मिलता है वह जूट के बैगज में मिलता है जो कई साल पुराना होता है। यह खाद मजबूरी में किसान को इनसे लेना पडता है। इसी प्रकार से मिनी बैंक सोसाईटीज द्वारा जो कीउे मार दवाईयां दी जाती हैं वे भी घटिया स्टैंडर्ड की होती हैं। इसके अलावा इनके पास एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की मंजूरी भी नहीं होती है। इन समितियों से ली गई दवाई से कई बार पौधों के पत्ते ही झुलस जाते हैं। मेरे हल्के में इन समितियों से बहुत ही घटिया किस्म की दवाईयां मिलती हैं जिनसे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि

सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है उसको सुधारना और ठीक करना सरकार का फर्ज बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस समय हाउस में बैठे हुए नहीं हैं मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूँ कि इस वर्तमान सरकार के समय में कितने लाईसैंस कीडे मार दवाईयों के दिए गए हैं, कितने सैम्पल्ज लिए गए हैं और कितने सैम्पल्ज फेल हुए हैं और इस बारे में कितने लोगों को पकडा गया है ? इसके अलावा मैं एक और बात कहूंगा कि कैथल के अन्दर नरवानिय बिल्डिंग के पास कुछ खाली जगह पडी हुई थी उस जमीन पर पता नहीं किसने कब्जा करवाया और पता नहीं किसने कब्जा किया है। वहां पर रातों रात 10 दुकानें बना दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस जमीन का दाम लगाया जाए तो वह काफी कीमत की बैठेगी। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: दिलुराम जी आप बैठ जाएं। जहां आपके बोलने का समय खत्म हो गया है।

लोक सम्पर्क राज्य मंत्री (श्री अतर सिंह सैनी): उपाध्यक्ष महोदय, दिलू राम जी ने 132 के0वी0 सब स्टे 1न के बारे में कहा था तो मैं इनको उस बारे में बताना चाहूंगा कि यह चतुरदाना में है और इस पर अढाई करोड रूपए का खर्चा आएगा। यह ए0पी0ए0ल 2 में डाला हुआ है और यह अंडर कंसीड्रे 1न है।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधु (पेहवा): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 1998-99 की वार्षिक योजना का लक्ष्य 2260 करोड़ रूपए का रखा है। यह ठीक है कि एक साल में सरकार कितने खर्चे का इंतजाम कर सकती है यह सरकार को पता है। मैं अपोजी उन का विधायक हूँ। मैं 1991 में पहली दफा और 1996 में दूसरी दफा चुनकर आया हूँ। पिछली कांग्रेस की सरकार के वक्त में मेरे हल्के पेहवा के साथ भेदभाव किया गया था। पांच साल तक मेरे हल्के की सड़कों, पुलों और जिन स्कूलों की बिल्डिंग अनसेफ घोषित की गयी थी उनके लिए कोई काम नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, गुमथला में 8- साल से एक स्कूल की बिल्डिंग अनसेफ घोषित की हुई है। आज तक उस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और न ही उस पर कोई ध्यान दिया गया है। हां एक बात वहां पर जरूर होती है कि वहां के प्रिंसिपल को हर दो महीने में एक चिट्ठी चली जाती है कि अगर वहां पर कोई दुर्घटना हुई तो उसका जिम्मेवार प्रिंसिपल होगा। अब आप ही बताएं कि इसमें वह क्या कर सकता है। इस बारे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस सरकार के द्वारा भी वहां पर भेदभाव किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सन 1995 में मेरे हल्के में फ्लड आया था और उससे पहले 1993 में भी फ्लड आया था तब से लेकर आज तक वहां की सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं। गुहला कांस्टीचुएसी में भुसला से मेरे गांव पथोया तक एक सड़क जाती है। वह 1993 से ही

टूटी हुई है वहां पर लोगों ने मिट्टी और पत्थर डाल कर कुछ ठीक किया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, नई सड़कें तो दूर, पुरानी सड़कों को भी रिपेयर नहीं किया जाता है। इसी के साथ मैं कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनकी बीमा पालिसी हुई होती है। उनका कोई नुकसान हो जाता है तो वे बीमा पालिसी के द्वारा वसूल कर लेते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि इसी तरह से कृषि बीमा भी जरूर होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, आज सुबह मेरे एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में रैवेन्यू मिनिस्टर ने एक बात कही कि वह इंक्वायरी करवा रहे हैं और उसके बाद उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन मुआवजे के रूप में केवल 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ही दिए जाएंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह तो किसान के साथ बहुत ही भददा मजाक है। जिस तरह से पंजाब सरकार ने मुआवजे के रूप में पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देने की घोशणा की है वैसे ही मेरी सरकार से मांग है कि हरियाणा में भी किसान को पांच हजार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, बजट स्पीच में एक पैराग्राफ में किसानों की थोड़ी सी प्रतीक्षा की गयी है कि हरियाणा के किसान बहुत मेहनती हैं और उनकी मेहनत की जवह से ही दालों का उत्पादन बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, गेहूं की फसल अप्रैल महीने में कट जाती थी। उसके बाद मई, जून के महीनों में किसान खाली रहते थे और जुलाई में जाकर वे अपनी जीरी लगाते थे लेकिन बाद में

किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत का परिचय दिया और वे जीरी की अगेती फसल लगाने लगे जिसकी वजह से जीरी का काफी उत्पादन हुआ। सर, करनाल और लाडवा साईड में जीरी काफी मात्रा में पैदा होती है। लेकिन वहां पर जीरी को मंडियों में खरीदने के लिए कोई भी सरकारी इंतजाम नहीं है। व्यापारियों को उनकी मन मर्जी के हिसाब से किसान उनको अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर हैं क्योंकि किसानों के पास अपना कोई गोडाउन नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह उनकी फसल खरीदने का कोई सरकारी इंतजाम करें। इसी तरह पहले किसान पास बुक के बारे में कहा गया था लेकिन आज तक भी किसानों की कोई पास बुक जारी नहीं की गयी। मैं कल भी सहकारिता मंत्री से इस बारे में मिला था। कृषि ऋणों पर सहकारी बैंक ने केवल दो प्रतिशत ब्याज की दर कम की है जो कि बहुत ही कम है इसको 14 परसेंट से घटाकर आठ या दस परसेंट कर देना चाहिए। जैसे पंजाब सरकार ने किसानों को एक लाख रूपये तक का ऋण देने की सुविधा दी है वैसे ही हरियाणा सरकार को भी देना चाहिये। किसानों की आत्महत्याओं के बारे में भी यहां पर जिक्र आया था। उन आत्महत्याओं का दोष केवल इस सरकार पर ही नहीं लगना चाहिये क्योंकि केवल दो सालों यह बात नहीं हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसानों को जैसी राहत की उम्मीद इस सरकार से थी वैसे ही राहत किसानों को इस सरकार से नहीं मिलती इसलिए ये आत्म हत्याएं होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज कई किसानों के बच्चे ऐसे कालेजों में पढते हैं जहां पर उनके साथ

दूसरे अच्छे घरों के बच्चे भी होते हैं। जिनके पास मोटर साईकिल या मोपेड होती है। किसानों के बच्चे भी घर आकर अपने बाप से ये चीजें मांगते हैं लेकिन किसान उनको देने में असमर्थ होता है इसलिए कई बार इन्हीं बातों को लेकर झगडे भी हो जाते हैं। आज किसानों के बच्चों की इच्छाएं बढ़ गयी हैं उनके खर्चे बढ़ गए हैं लेकिन आज किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आज की सरकार की वजह से ही नहीं बल्कि पिछली सरकारों की वजह से भी किसान की हालत खराब हुई है। इसी तरह से मैं बाढ़ के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां पर मारकण्डा नदी के ऊपर पक्का बांध नहीं है वहां पर पक्का बांध बनवाया जाना चाहिए। इसी तरह से बीबीपुर लेक में वाटर लिफ्ट पम्प लगाया जाना चाहिए। जब तक यह नहीं होगा तब तक मेरे हल्के में इरीगे उन के लिए पानी की समस्या बनी ही रहेगी। इसलिए सरकार को इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, मेरा 21 तारीख को एक क्वैशन था लेकिन वह समय की कमी के कारण लग नहीं पाया। मेरा वह सवाल यह था कि पेहवा कांस्टीच्युएन्सी में मिडिल, हाई या 10+2 के जितने भी स्कूल हैं उनमें टीचर्स की कितनी पोस्टस रिक्त हैं। इसके जवाब में मुझे 33 स्कूलों के बारे में बताया। इसमें से दस स्कूल ऐसे थे जहां पद रिक्त नहीं थे लेकिन बाकी स्कूलों में टीचर्स के पद रिक्त थे। मेरे अपने गांव गुमथला में 25 पोस्टस में से टीचर्स की दस पोस्टस खाली हैं। इसी तरह से और भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर टीचर्स के पद रिक्त पड़े

हुए हैं। कई गांवों के स्कूलों में टीचर न होने की वजह से बच्चे दूसरे गांवों के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई के बारे में कहना चाहूंगा। स्पीकर सर, हमारा एरिया पैडी सोईंग एरिया है। अब जीरी की खेती बहुत ही अगेती होने लग गयी है। स्पीकर सर, राइस भूट हमें 2-3 और 4 जुलाई तक दिए गए जबकि जून के फर्स्ट वीक में मिल जाने चाहिए थे। पहले जिस रकबे के लिए 6 ईंची राइस भूट दिए जाते थे अब वहां 4 ईंची या उससे भी कम साईज के दिए जाते हैं। यह हमारे साथ भेदभाव है। इसके अलावा पुराने राइस भूट को रिन्यू कराने के लिए जो ऐप्लीकेशन दी जाती है उसके लिए 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं और नये के लिए 2500 रुपये चार्ज किए जाते हैं। सिर्फ ऐप्लीकेशन एक्सैप्ट करने के लिए इतने रुपये चार्ज किए जाते हैं। उसकी रसीद काट कर दी जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें सरकार का लगता क्या है। यह बिल्कुल गलत बात है और ये चार्जिज खत्म होने चाहिए। पिछले सत्र में पेहवा गुहला के पट्टेदारों, फौजी पैनलों और स्वतंत्रता सेनानियों को उठाने की बात आई थी। मैंने मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से उस बारे में अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी उनसे बातचीत चल रही है, तेरे को चौधरी नहीं बनने देंगे "तू क्यों खीर में नून डाल रहया सै" मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जवाब देते समय बताएं कि 6 महीने हो गए हैं सरकार ने उनसे क्या बातचीत की है। बादल सरकार ने मण्ड के इलाके में बसे हुए इस तरह के पट्टेदारों, भूतपूर्व फौजियों को जायज कीमतों पर किंते बांधकर

जमीनों के पटटे दिए हैं, मालिकाना हक दिए हैं। इसी तरह से हमारे यहां के पटटेदारों, फौजी पैनरों और स्वतंत्रता सेनानियों को भी उजड़ने से रोका जाए और उन्हें मालिकाना हक दिए जाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों पर न जोते हुए कि चौधरी बंसी लाल जी ने क्या क्या वायदे किए थे, एस0वाई0एल0 नहर का जिक्र करना चाहूंगा। स्पीकर सर, हमें इस नहर से बहुत ज्यादा दिक्कत है। पंजाब के राजपुरा इलाके का बरसात का टोटल पानी इस एस0वाई0एल0 नहर के द्वारा कुरुक्षेत्र से साइफन होते हुए कुरुक्षेत्र कांस्टीच्युएंसी के तकरीबन सारे जिले का नुकसान करके नरवाना ब्रांच के नीचे से होकर हमारी जो बीबीपुर लेक है उसमें डालकर हमारे इलाके का बहुत ज्यादा नुकसान करता है। यदि एस0वाई0एल0 कैनल नहीं बन सकती तो इस पर पंजाब के बार्डर पर बांध लगा दिया जाए। जब कभी इस नहर को बनाया जायेगा एकड दो एकड के टुकड़े में बने हुए बांध को हटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका फौरन कोई न कोई हल होना चाहिए। स्पीकर सर, सेंटर की पिछली कांग्रेस की सरकार के समय में मैंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अपने हलके के विकास के लिए डिवैलपमेंट ग्रांट दी गई थी उसके पैटर्न पर यहां भी पिछली कांग्रेस सरकार ने एम0एल0एज0 को वह ग्रांट देनी भुर्रु की थी। चौधरी भजन लाल जी ने हर मैम्बर को 20 लाख रूपये वार्षिक ग्रांट देने की घोशणा की थी। हमारी पार्टी ने उसका विरोध किया था और कहा था कि यह राशि कम से कम 50 लाख रूपये होनी चाहिए। हमने वह राशि लेने से इंकार कर दिया था। विकास पार्टी के

विधायकों ने वह 20 लाख रूपये की राशि भी ले ली और बाद में भजन लाल सरकार ने 40 लाख रूपये देना मान लिया तो विकास पार्टी के सदस्यों ने राशि भी ले ली। स्पीकर सर, इनका फर्ज बनता है कि जब इन्होंने उस समय इसका विरोध नहीं किया और वह ग्रांट ली तो अब भी दी जानी चाहिए। इनकी पार्टी के जो एमपी0 दिल्ली में गए हैं वे भी 2 करोड़ रूपये ग्रांट लेते हैं जब लेने की बारी आती है देने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे हमारे पास पैसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह जो झोली कर लेते हैं यह भाब्द रिकार्ड न किये जाएं।

श्री जसविन्द्र सिंह सिंधू: यह डिवैल्पमेंट ग्रांट सरकार 50 लाख की चालू करें। (घंटी) हमारे यहां के किसानों को सिंचाई का पूरा पानी न मिलने के कारण एक फसल बोनो का मौका मिल पाता है इसलिए सरकार को दूसरी फसल का मुआवजा किसानों को देना चाहिए। (घंटी) इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, पेहवा में फोर मरला कालोनी और माडल टाउन कालोनी बारी 1 होते ही डूब जाती है इसके बारे में हमारे साथ भेदभाव है। उस समस्या का समाधान होना चाहिए। हमारे पेहवा में कोई सब्जी मंडी नहीं है। इस बारे में 1991 से लगातार मैं इस सदन में यह मांग रख रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पिछली सरकार के वक्त में चौधरी अमर सिंह जी मेरे हल्के में मारकंडा

नदी पर पुल बनाने के लिए िालायन्यास कर गये थे लेकिन वह पुल अभी तक नहीं बना है ।

नई सरकार ने ट्यूक्र गांव में मारकण्डा नदी पर पुल बनाने का इस बजट में प्रावधान किया है उसको जल्दी बनाया जाये । अध्यक्ष महोदय, जहां तक वाटर सप्लाई और सीवर प्रणाली को चालू करने की योजना इस बजट में बनाई गई है उस बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिलावार जिन गांवों की आबादी 5-6 हजार से ज्यादा है उनमें यह प्रणाली चालू की जाये । यह न हो कि यह स्कीम भिवानी जिले तक ही सीमित रहे । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद ।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting be extended by half an hour ?

Voices: Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting is extended by half an hour.

वर्ष 1998-99 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

Mr. Speaker: Now, the Finance Minister will give reply on the Budget Estimates for the year 1998-99.

वित्त मंत्री (श्री चरण दास): अध्यक्ष महोदय, मैं 1998-99 के बजट पर चर्चा में विपक्षी भाईयों ने जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 22, 23, 24 तारीख से लगातार बजट पर चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमने पेश किया है, उस बजट पर बिजली के बारे में, इरीगेशन के बारे में, एजुकेशन के बारे में विपक्षी भाईयों की तरफ से कोई सुझाव नहीं आया, विपक्षी भाईयों ने बजट की सिर्फ आलोचना की है, कोई सुझाव नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने और श्री राम बिलास भार्मा जी ने सभी सवालों का विस्तार से जवाब दे दिया है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जवाब मैं भी देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब से हरियाणा बना है, हरियाणा में 2260 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना पहली बार सदन में पेश की गई है। यह सबसे बड़ी योजना है और पिछले वर्ष की 1400 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना से यह 61 प्रतिशत ज्यादा है। हमने बजट बनाने से पहले मंथन किया और बड़ी सोच समझ कर प्रदेश के अन्दर किस चीज की जरूरत है यह तय कर के ही बजट का प्रावधान किया है। बिजली उत्पादन के लिए हमने 505 करोड़ रुपये, इरीगेशन के लिए 550.81 करोड़ रुपये, सोलर सर्विसिज के ऊपर 590 करोड़ रुपये खर्च किया है, पिछड़े क्षेत्र पर 1844 करोड़ रुपये और एलायड एग्रिकल्चर के लिए 117 करोड़ रुपये हमने दिए हैं। हमनु बहुत सोच समझ कर डिवलपमेंट ओरिएण्टेड बजट पेश किया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में खुल कर लॉ एण्ड आर्डर पर चर्चा हुई

और मुख्य मंत्री जी ने बड़े विस्तार से इसके बारे में बताया है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय साथियों ने ला एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में बताया परन्तु किसी ने भी यह बताने की कोशिश नहीं की कि इस स्थिति के बिगडने के कारण क्या हैं। ये कारण राजनैतिक भी हैं, आर्थिक कारण भी हैं और सामाजिक कारण भी है। ला एण्ड आर्डर के बारे में चोरियां वगैरा और दूसरे अपराध होते हैं उनको रोकने में टाईम भी लगता है क्योंकि इसके लिए सोच कर कार्यवाही करने की जरूरत होती है। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि यदि ला एण्ड आर्डर के बारे में बिना तथ्य के ज्यादा बोलते जाएंग तो उससे मासिज पर भी गलत असर पडता है। अध्यक्ष महोदय, एस0वाई0एल0 के बारे में भी मैं सुन रहा था। एस0वाई0एल0 के पानी का बंटवारा होना चाहिए और हमारे हिस्से का पानी हमें मिलना चाहिए। एक ऑनरेबल मैम्बर ने बोलते हुए यह कहा कि हमें इसके लिए दूसरे तरीके अपनाने चाहिए पंजाब रोडवेज की जो बसें हमारे यहां से गुजरती हैं उन्हें हरियाणा की सडकों से गुजरने नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की बात ठीक नहीं है। यदि हमें ला एण्ड आर्डर की स्थिति को ऊंचा रखना है तो हमें बड़ी सावधानी से पग उठाने होंगे और पूरा मंथन और विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। विपक्ष के भाईयों ने एजुकेशन के बारे में, सौथ वेल्फेयर, रोडज के बारे में जो जो बिन्दु उठाए हैं, उनका जवाब मंत्रियों ने दे दिया है। (विधन) अध्यक्ष महोदय, अपोजीशन के नेता चौधरी ओम प्रकाश

चौटाला जी ने कई मुद्दे उठाए और कहा कि फिफथ पे कमी इन सरकार ने दिया है लेकिन बजट में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा है जिसको पूरा करने के लिए हम 1500 करोड़ रुपये के टैक्स लगाने जा रहे हैं। यह तथ्य बिल्कुल गलत है। सरकार ने 1697.95 करोड़ का प्रावधान किया है इसमें 1101.14 करोड़ रुपये ऐरियर्ज का बकाया है और उसके अंदर 61 करोड़ रुपये वे भी हैं जो कि वर्ष 1996-97 के देने के लिए हैं और ए0डी0ए0 की कि त भी देनी है। इसके लिए, कोई टैक्स लगाने की बात नहीं है। (विघ्न)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करें। पिछले बजट स्पीच में इन्होंने कहा था कि 628 करोड़ रुपये पे कमी इन के लिए अलग से रखे गए हैं और उनको केवल 76 करोड़ रुपये दिये गये हैं। अब इन्होंने 6300 करोड़ रूपया 7600 करोड़ रुपये के अगेन्स्ट रखा है जो 1300 करोड़ का डैफिसिट है वह कहां से पूरा होगा। उनको 20-22 प्रतिशत तनखाहों में जोड़ें यह पैसा कब तक और कैसे दिया जाएगा। 7600 करोड़ के अगेन्स्ट 6300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। 1300 करोड़ रूपया तो तनखाहों और इन्क्रीमेंटस में चला जाएगा, वित्त मंत्री जी इसका भी स्पष्टीकरण करें।

श्री चरण दास: अध्यक्ष महोदय, चौटाला साहब ने जो सवाल किया है कि पिछले बजट में 628 करोड़ रुपये का प्रावधान

था वह इन्होंने गलत बताया था और इसका जवाब हमने दिया था तो ये सदन में से चले गए थे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने पढ़ कर सुनाया था तो 628 करोड़ रुपये थे और इन्होंने 76 करोड़ रुपये ही उसमें से दिए हैं। मैं तो उस वक्त चला गया था तो ये बताएं कि यह पौथा किस बात का है।

श्री चरण दास: चौटाला साहब, आपको तो पता ही नहीं कि बजट कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है। आप हाऊस को गुमराह करते हैं। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, बहुत से विचारों का मंथन हो गया है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वर्ष 1998-99 के अनुमानों को अनुमोदित किया जाए।

बिलज—

(1) पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998

Mr. Speaker: Now the Ayurveda Minister will introduce the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1998. He will also move the motion for its consideration.

आयुर्वेदिक राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा

सं गोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करती हूँ।
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:—

पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी
(हरियाणा सं गोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरंत विचार
किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved :

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners
(Haryana Amendment and Validation) Bill, be taken into
consideration at once.

श्री सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में कहना
है कि इस बिल को क्यों बार बार लाया जा रहा है। यह बिल हर
एक दो साल के बाद आता है पिछले 29 सालों से ऐसा हो रहा
है। इसको बार बार लाकर क्यों चुनाव को टालते हैं। अध्यक्ष
महोदय, हाई कोर्ट का फैसला आया कि जो आर०एम०पी० हैं वे
एलोपैथिक की दवाईयां नहीं बेच सकते हैं अध्यक्ष महोदय, आज
बहुत से डाक्टर हैं जिनको हम थैले वाले डाक्टर कहते हैं। ये
हजारों की तादाद में है। आज क्या हो रहा है जो डाक्टर
आयुर्वेदिक बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं वे एलोपैथिक दवाईयां इस्तेमाल
नहीं कर सकते। उनके खिलाफ आज ये एफ०आई०आर० दर्ज करते
हैं और उनको पकडते हैं। सरकार को यह सब बंद करना चाहिए।
अध्यक्ष महोदय, जब दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन हो रही है तो
हमारे यहां पर क्यों बंद है। अध्यक्ष महोदय, आज पी०एच०सी०,

सी०एच०सी० और डिस्पेंसरियों में डाक्टरों नहीं हैं। और आज डाक्टरों की जरूरत है तो हमने कायें उनकी रजिस्ट्रेशन को बंद कर रखा है। आज गांवों में डाक्टरों की बहुत ही जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, उनको किसी इन्टरव्यू से या किसी टैस्ट के द्वारा रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो गांवों में लोगों का ईलाज हो जाएगा। उनके खिलाफ जो फर्जी एफ०आई०आर० दर्ज की जाती हैं वे बंद की जाएं। इस बारे में कुछ लोग बहन जी को मिले भी होंगे। मैं बहन जी से कहता हूं कि उनको कोई टैस्ट या इन्टरव्यू लेकर उनकी रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए।

स्थानीय भासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, जो सम्पत सिंह जी कह रहे हैं तो मैं इनको बताना चाहती हूं कि यह सेंट्रल काउंसिल का पास किया हुआ ऐक्ट है। वे डाक्टरों बिना निर्धारित परीक्षा/ऐग्जामिनेशन के रजिस्टर्ड नहीं हो सकते।

श्री सम्पत सिंह: आप उनको ऐग्जामिनेशन करो।

डॉ० कमला वर्मा: ये ऐग्जामिनेशन तो सेंट्रल काउंसिल ने मंजूर किए हुए हैं। वहीं ये निर्णय ले सकती हैं।

श्री धीरपाल सिंह: फिर इसका जो भी समाधान हो सकता वह आप करिए।

डॉ० कमला वर्मा: स्पीकर सर, यह तो केन्द्र सरकार ने देखना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री संपत सिंह: स्पीकर सर, एक डाक्टर तो वे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और दूसरे डाक्टर वे हैं जो आलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जो आलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उनके खिलाफ एलोपैथिक दवाई का नाम लेकर रोजाना एफ0आई0आर0 दर्ज क्यों की जा रही हैं ?

डॉ० कमला वर्मा: स्पीकर सर, एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल करने का जो एक्ट है वह केन्द्र सरकार ने ही पास किया हुआ है। इसलिए हमारे जो भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वे जगह जगह जाकर ऐसे डाक्टर की चैकिंग करते हैं और उसके बाद ही उनके ऊपर केसिज चलते हैं। इस तरह के डाक्टर एलोपैथिक दवाई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

श्री सम्पत सिंह: लेकिन जो डाक्टर रजिस्टर्ड हैं उनके एग्जामिने इन के बारे में आप क्या करेंगे ?

डॉ० कमला वर्मा: जो डाक्टर आर0एम0पी0 हैं या जो आयुर्वेदिक रत्न हैं या भास्कर हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट एलोपैथिक दवाई के इस्तेमाल के लिए आज्ञा नहीं देती हैं। उन्होंने ही इस बारे में एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है। मान्यता प्राप्त एग्जामिने इन होने के बाद ही इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। हमारे बोर्ड को इस बारे में कोई अधिकार नहीं है।

श्री सम्पत सिंह: दूसरे स्टेटस में तो ये रजिस्टर्ड हो रहे हैं।

डॉ० कमला वर्मा: वे तो पैसे लेकर झूठे सर्टिफिकेट्स दे देते हैं फिर अन्य प्रान्तों में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं।

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister of State for Ayurveda will moved that the Bill be passed.

Minister of State for Ayurveda (Smt. Kanta): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(2) हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker: Now the Local Government Minister will introduce the Haryana Municipal (Amendment) Bill, 1998. He will also move the motion for its consideration.

स्थानीय भासन मंत्री (डॉ० कमला वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) विधेयक प्रस्तुत करती हूँ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि—

हरियाणा नगरपालिका (सं तोधन) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री धर्मबीर गाबा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से रिक्वैस्ट करना चाहता हूँ कि हर साल इस एक्ट के अंदर ये अमेंडमेंट आ जाती है। पिछली दफा भी हम वाक आउट करके गए थे, जब ये पंचायत एक्ट नहीं लाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर गवर्नमेंट चाहती क्या है ? बेसिकली इस एक्ट में 1973 में कांस्टीच्यू टन के अंदर अमेंडमेंट की गई थी। और उसका मकसद सिर्फ यही था कि हमें बेसिक डैमोक्रेसी प्रोवाइड करें और उस डैमोक्रेसी को खत्म करने के लिए हरियाणा वाले बैठे हैं अपनी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि इनको क्या कहें, इन लोगों की तो वह बात है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल

सीधी। इनकी कौन सी कल सीधी है अपनी समझ में यह बता नहीं आई। इस बिल की स्टेटमेंट में इसके औब्जैक्ट एंड रीजंस को पढ़ें आप लोगों ने तो उसमें यह प्रोवाइड किया है—

“Section 14 and 22 of the Haryana Municipal Act, 1973 provide a lengthy procedure for removal of President, Vice-President and Members of Committees on various grounds

ये यह भी नहीं चाहते कि कोई आदमी कोर्ट में जाये, ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसको सस्पेंड करो, रिमूव करो और खत्म कर दो। स्पीकर सर, आज पंचायतों के अंदर जो हो रहा है उससे मेरे मन में डर है। मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अंदर पता नहीं कितने लोगो को इन्होंने झूठे मूठे एलीगे इन लगाकर सस्पेंड कर दिया और सिर्फ इस बिनाह पर कि इसने इम्बैजलमेंट की है इसने यह कर रखा है, इसको सस्पेंड कर दो यही सब हर केस में होगा तो डैमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी और जिस मकसद के लिए यह बिल लाया गया था वह मकसद पूरा नहीं होगा। अतः मेरी मुख्यमंत्री जी और मंत्री महोदया से प्रार्थना है कि इस बिल को वापस लें और डैमोक्रेसी जो बेसिक है उसमें लोगों को जीने दें और डैमोक्रेसी प्रोवाइड करें, यही मेरी रिकवैस्ट है।

श्री सम्पत सिंह: स्पीकर सर, जैसा गाबा साहब ने कहा, ख्याल तो मेरा भी यही है कि हरियाणा म्युनिस्पल (अमेंडमेंट) बिल वापस लिया जाए। स्पीकर सर, इसके रीजन यह हैं कि यह बिल

अपने आप ही पास नहीं है। यह कांस्टीच्यू इन अमेंडमेंट है। कांस्टीच्यू इन के बतौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें अमेंडमेंट की थी। म्युनिसिपल और साथ में आपकी लोकल बॉडीज और पंचायतों के दो एक्ट थे और दोनों को ज्यादा पॉवर देने की बात थी। जो एक्ट हैं वे दोनों के पास किए गए थे। पिछली विधान सभा में स्पीकर साहब, आप भी हमारे साथ मेंबर थे। कांस्टीच्यू इन को बदलने या कांस्टीच्यू इन में अमेंडमेंट लाने वाले लोगों की इच्छा यह थी कि महात्मा गांधी के सपने को पूरा किया जाए पॉवर को डीसेंट्रलाइज किया जाए। सारी पावर एक जगह क्यों हो जाए ? गांव को भी पॉवर जाये और भाहरों को भी जाये। लोकल बॉडीज और पंचायतों को भी पॉवर होनी चाहिए। गवर्नमेंट को अमेंडमेंट तो ये लानी चाहिए थी कि पंचायतों को, ब्लॉक समितियों को और जिला परिशदों को पॉवर देते, उनकी फाईनैण्डियल पोजी इन कुछ सुधारते, कुछ उनके पास बजट बगैरह होता। स्पीकर सर, हालात यह है कि इंस्टीच्यू इन बन तो गई, एक्ट बन तो गया लेकिन जिस उददे य को लेकर एक्ट बनाया गया था वह उददे य एक परसेंट भी पूरा नहीं हुआ है। कहते को तो कह दिया और यहां तक हो गया कि जैसे पंचायतों और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए तो बहुतों में ये हो गया कि डी0सी0 की रिपोर्ट जिला परिशद के मैम्बर लिखेंगे, फलाने की रिपोर्ट सरपंच लिखेंगे और हालात ये हो गए कि जो रिपोर्ट वे देंगे उस पर तो ये सस्पेंड हो जाएंगे। डी0सी0 की रिपोर्ट जिला परिशद के सदस्य क्या लिखेंगे ? सस्पें इन तो पंचायतों में आम

होता है। मैं किसी पार्टिकुलर केस को साइट करके नहीं कह रहा हूँ, सवाल आज इस गवर्नमेंट का नहीं है, इस मिनिस्टर का भी नहीं है जिसके पास यह महकमा है महकमा तो आज किसी के पास है कल किसी और के पास आ सकता है सरकारें तो आती जाती रहती हैं लेकिन अगर इस तरह से सस्पेंड करने लगे, डायरेक्टर को पॉवर दे दी, चुने हुए आदमी को दे दी तो केसिज तो एम0एल0ए0 और एम0पी0 के खिलाफ भी दर्ज होते हैं केवल मात्र केस दर्ज हो गए, अंडर इंक्वायरी है या अंडर इन्वैस्टीगेशन है He will be suspended by the Director. प्रेजिडेंट भी सस्पेंड हो जाएगा, म्यूनिसिपल काउंसलर भी सस्पेंड हो जाएगा तो डेमोक्रेसी क्या रह गई है। कहां तो पॉवर्ज की डैलीगेशन करने जा रहे थे, फाइनेंशियल पावर्ज देने जा रहे थे, क्राइमस को रोकने के लिये कुछ सजा वगैरह की पॉवर्ज देने जा रहे थे वह चीजें तो हुई नहीं है। जो सेंस ऑफ अमेंडमेंट की थी वह सारी की सारी सेंस डिफीट तो पहले ही हो गई है अगर आप उनको सस्पेंड करने वाली अमेंडमेंट और ले आते हैं कि सिम्पली एक डायरेक्टर उनको सस्पेंड कर सकेगा तो कोई भी आदमी किसी के खिलाफ एक क्रिमिनल पर्चा दे दे तो आपको यह मालूम ही है कि केस किस तरह से दर्ज होते हैं। इस तरह यह बहाना लेकर किसी भी म्यूनिसिपल काउंसलर को या म्यूनिसिपल प्रेजिडेंट को पावर्स देना तो दूर की बात है, सस्पेंड करने में भी देर नहीं लगेगी। The Enquiry is pending and he is suspended for 6 months. इसमें यह भी नहीं दिया है कि दोबारा कोई रिइंस्टैंट हो सकता है इस

तरह से थोडा गैप देकर 15-20 दिन बाद एक और कम्पलेट करवाकर उसको सस्पेंड कर देते हैं। इस तरह से उसका सारा पीरियड तो सस्पेंडान में ही चला जाता है। यह तो टोटली इंडमोक्रेटिक वे है। जो स्थानीय स्व शासन को मजबूत करने की बजाए हम उसे कमजोर कर रहे हैं। प्रजातंत्र की बेसिक इकाई स्थानीय स्व शासन है। इसलिए मेरा आपसे तथा सरकार से निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाये। इस तरह से प्रजातंत्र का गला न घोटा जाये और इंलैक्टड लोगों को इस तरह से सस्पेंड न किया जाये।

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने लोकतंत्र को मजबूत करने की अच्छ बात कही है हमें लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिये। लेकिन आज जो प्रदेशों में प्रधान और उप प्रधान व अन्य पार्श्व हैं वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिस तरह से आज प्रदेशों में नगर पालिका विवर्तन में काम कर रही हैं, जिस प्रकार के आरोप मेरे पास रोजाना आते हैं, उन आरोपों की इंकवायरी करने में दो दो साल लग जाते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं होता कि हम कोई ऐक्टान ले लें। हमने इस ऐक्ट में कुछ नहीं किया केवल पंचायत ऐक्ट की तरह नगर पालिका को एक अधिकार की बात की है। जिस तरह पंचायत ऐक्ट में सरपंच जो किसी आरोप से सस्पेंड हो जाता है तो वह 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। उस अपील की सुनवाई से पहले उसे एक नोटिस दिया जायेगा, उस नोटिस का जवाब आने के बाद ही उस

अपील का फैसला किया जायेगा। क्योंकि कई नगर पालिका के प्रधान दो दो साल तक कोई मीटिंग नहीं बुलाते, जनता के पैसे का दुरुपयोग करते हैं। कहीं वृक्ष कटवा देते हैं और भाहर में नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करवा देते हैं इस तरह भाहर में कोई विकास का काम नहीं हो पाता। इन सारे आरोपों को देखते हुए हम इसमें संतोधान ला रहे हैं। अगर कोई प्रधान गलत काम करता है और उस पर गंभीर आरोप लगते हैं तो हमने इसमें संतोधान किया है कि डायरेक्टर को यह अधिकार है कि वह प्रधान को निलम्बित कर उसकी अपील 30 दिन के अंदर सुन सकता है और अगर उससे सहमत है तो उस पर फैसला कर सकता है इसमें क्या गलती है मुझे बताइये। (विघ्न)

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Municipal (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

वाक आउट

(At this stage all the members of Haryana Lok Dal (Rashtriya) Party and the Indiana National Congress Party present in the House staged a walk out as a protest against not having been allowed to speak more on the Bill.)

बिल्लज-

हरियाणा नगरपालिका (सं गोधन) विधेयक, 1998 (पुनरारम्भ)

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Local Government Minister will moved that the Bill be passed.

डॉ० कमला वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(3) हरियाणा ग्रामीण विकास (सं. 10) विधेयक, 1998

Development & Panchayats Minister (Sh. Kanwal Singh): Sir, I beg to introduce the Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 1998 and I also move-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Haryana Rural Development (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Minister for Development & Panchayats will move that the Bill be passed.

Development & Panchayats Minister (Sh. Kanwal Singh): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(4) पंजाब आबकारी (हरियाणा तृतीय सं गेधन) विधेयक, 1998

Mr. Speaker: Now the Minister for Prohibition & Excise & Taxation will introduce the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill, 1998 and he will also move the motion for its consideration.

भाहरी एवं नगर आयोजना मंत्री (सेठ सिरी कि न दास): अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब आबकारी (हरियाणा तृतीय सं गेधन) विधेयक, 1998 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

इस विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is-

That the Punjab Excise (Haryana Third Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is-

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Prohibition & Excise Minister will move that the Bill be passed.

भाहरी एवं नगर आयोजना मंत्री (सेठ सिरी किान दास): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House is adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 28th July, 1998.

***18.56 p.m.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Tuesday, the 28th July, 1998)